

परिशिष्ट 1.1	राज्य का परिदृश्य (संदर्भ: राज्य का परिदृश्य; पृष्ठ 1)
-------------------------	--

अ. सामान्य आँकड़े		
क्र० सं०	विवरण	आँकड़े
1	क्षेत्रफल	2,40,928 वर्ग किमी०
2	जनसंख्या	21.67
	अ. 2001 की जनगणना के अनुसार	16.62 करोड़
	ब. 2014-15 (अनुमानित)	21.67 करोड़
3	अ. जनसंख्या घनत्व (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व=325 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी०)	690 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी०
	ब. जनसंख्या घनत्व ¹ (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व=382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी०)	829 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी०
4	गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या 2011-12 ² (बी०पी०एल०) (अखिल भारतीय औसत = 30.00 प्रतिशत)	39.80 प्रतिशत
5	अ. साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत=64.80 प्रतिशत)	56.27 प्रतिशत
	ब. साक्षरता ¹ (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73.00 प्रतिशत)	67.68 प्रतिशत
6	शिशु मृत्युदर 2013 ³ (प्रति 1000 जन्म पर) (अखिल भारतीय औसत=40 प्रति 1000 जन्म पर)	50 प्रति 1000 जन्म पर
7	जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा ⁴ 2009-13 (अखिल भारतीय औसत =67.50 वर्ष)	63.80 वर्ष
8	गिनी गुणांक ⁵	
	अ. ग्रामीण (अखिल भारतीय=0.29)	0.36
	ब. शहरी (अखिल भारतीय=0.38)	0.33
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) वर्तमान मूल्यों पर	₹ 11,53,795 करोड़
10	प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (2006-07 से 2015-16)	उत्तर प्रदेश 12.70 सामान्य श्रेणी राज्य 14.27
11	सकल राज्य घरेलू उत्पाद मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (2006-07 से 2015-16)	उत्तर प्रदेश 14.68 सामान्य श्रेणी राज्य 15.75
12	जनसंख्या वृद्धि ⁶ (2006-07 से 2015-16)	उत्तर प्रदेश 16.93 सामान्य श्रेणी राज्य 12.24

¹ अंतिम जनसंख्या भारतीय जनगणना सूचना 2011।

² मेथोडोलॉजी फॉर मेजरमेंट ऑफ पावर्टी की समीक्षा हेतु रिपोर्ट आफ एक्सपर्ट ग्रुप (रंगाराजन), नियोजन विभाग (जून 2014), पृष्ठ 66 (वर्ष 2011-12 के लिये उपलब्ध अद्यतन आँकड़ों का समावेश किया गया है)।

³ मेथोडोलॉजी फॉर मेजरमेंट ऑफ पावर्टी की समीक्षा हेतु रिपोर्ट आफ एक्सपर्ट ग्रुप (रंगाराजन), नियोजन विभाग (जून 2014), पृष्ठ 66 (एस.आर.एस. बुलेटिन, सितम्बर 2014)।

⁴ इकोनोमिक सर्वे वर्ष 2014-15, सारणी 9.1, पृष्ठ अ 129।

⁵ गिनी गुणांक, जनता की आय में परस्पर असमानता का मापक है। शून्य से एक के पैमाने पर, शून्य के समीप होने पर असमानता कम तथा एक के समीप होने पर असमानता अधिक होगी। वर्ष 2009-10 के लिये उपलब्ध अद्यतन आँकड़ों का समावेश किया गया है।

⁶ जनगणना विभाग द्वारा अनुमानित कुल जनसंख्या 2001-26।

ब. वित्तीय आंकड़े						
क्र० सं०	विवरण	आंकड़े (प्रतिशत में)				
13	मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर	2006-07 से 2014-15		2014-15 से 2015-16		
		सामान्य श्रेणी राज्य	उत्तर प्रदेश	सामान्य श्रेणी राज्य	उत्तर प्रदेश	
	क.	राजस्व प्राप्तियाँ	14.74	15.61	15.00	17.40
	ख.	स्वयं का कर राजस्व	15.08	15.76	13.28	9.45
	ग.	करेतर राजस्व	10.20	14.96	6.00	16.05
	घ.	कुल व्यय	16.71	15.67	16.42	26.56
	ड.	पूँजीगत व्यय	13.21	18.20	25.80	20.88
	च.	शिक्षा पर राजस्व व्यय	17.08	16.07	12.17	32.78
	छ.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय	18.70	17.25	13.44	11.11
	ज.	वेतन एवं मजदूरी [@]	15.49	16.80	9.95	19.78
झ.	पेंशन [@]	18.59	21.01	11.79	8.27	

(स्रोत: वित्तीय आंकड़े वित्त लेखे वर्ष 2015-16 पर आधारित हैं)

@ दिल्ली को छोड़कर

परिशिष्ट 1.2	शासकीय लेखे का रूप एवं संरचना तथा वित्त लेखे का प्रारूप (संदर्भ: प्रस्तर 1.1; पृष्ठ 2)
-------------------------	--

भाग—अ: शासकीय लेखे का रूप एवं संरचना

शासकीय लेखे की संरचना: राज्य सरकार के लेखे को तीन भागों में रखा गया है (i) संचित निधि, (ii) आकस्मिकता निधि तथा (iii) लोक लेखे।

भाग-1 संचित निधि: राज्य सरकार की समस्त राजस्व प्राप्तियां, ट्रेजरी बिलों के जरिये उगाहे गये समस्त ऋण, आन्तरिक एवं वाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋणों के भुगतान हेतु प्राप्त समस्त धनराशि एक संचित निधि का गठन करता है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अन्तर्गत गठित 'राज्य की संचित निधि' नाम से जाना जाता है।

भाग-2 आकस्मिकता निधि: संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अन्तर्गत राज्य की आकस्मिकता निधि का गठन होता है जो एक प्रकार का अग्रदाय है जिसमें से अति आवश्यक अनपेक्षित व्यय को पूरा करने हेतु अग्रिम लिया जाता है जो राज्यपाल के अधिकार में है। इस प्रकार के व्यय हेतु तथा बाद में इसी के बराबर की धनराशि के संचित निधि से आहरण हेतु विधायिका की संस्तुति प्राप्त की जाती है, जिससे आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिमों की प्रतिपूर्ति की जाती है।

भाग-3 लोक लेखे: प्राप्तियों एवं वितरणों से सम्बन्धित कुछ लेनदेनों यथा लघु बचत, भविष्य निधि, संचित निधि, निक्षेप, उचन्त, प्रेषण इत्यादि जो संचित निधि के भाग नहीं होते, को संविधान की धारा 266(2) के अन्तर्गत लोक लेखे में रखे जाते हैं एवं वे राज्य विधायिका के द्वारा मतदान का विषय नहीं होते हैं।

भाग—ब: वित्त लेखे का प्रारूप

विवरण सं०	प्रारूप
<p>वित्त लेखे दो भागों में विभाजित है। भाग एक सरकार के वित्तीय विवरण के सारांशीकृत रूप में और भाग दो में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाता है। भाग एक में भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के प्रमाण—पत्र, 13 सारांश विवरण और लेखे की योजना पर टिप्पणी को सम्मिलित किया जाता है जैसा कि नीचे दिया गया है।</p>	

खण्ड—I

1	वित्तीय स्थिति का विवरण
2	प्राप्तियों एवं संचितरणों का विवरण, अनुलग्नक—अ, रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों के निवेश सहित
3	प्राप्तियों का विवरण (संचित निधि)
4	व्यय का विवरण (संचित निधि)
5	प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण
6	उधारों और अन्य दायित्वों का विवरण
7	सरकार द्वारा दिए गये ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण
8	सरकार के निवेशों का विवरण
9	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण
10	सरकार द्वारा दिए गये सहायता अनुदानों का विवरण
11	दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण
12	राजस्व लेखे से भिन्न व्ययों के लिए निधियों के स्रोत एवं प्रयोग का विवरण
13	संचित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे के अन्तर्गत शेष राशियों का सारांश

खण्ड-II	
भाग-I	
14	राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण
15	राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण
16	पूंजीगत व्यय का लघु शीर्षवार तथा उप शीर्षवार विस्तृत विवरण
17	उधार एवं अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण
18	राज्य सरकार द्वारा दिए गये ऋणों एवं अग्रिमों का विस्तृत विवरण
19	सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण
20	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण
21	आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखे के लेन-देनों का विस्तृत विवरण
22	उद्दिष्ट शेषों के निवेश का विस्तृत विवरण
भाग-II (परिशिष्ट)	
परिशिष्ट-I	वेतन पर तुलनात्मक व्यय
परिशिष्ट-II	सब्सिडी पर तुलनात्मक व्यय
परिशिष्ट-III	राज्य सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता (संस्थानवार और योजनावार)
परिशिष्ट-IV	वाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण
परिशिष्ट-V	आयोजनागत योजना व्यय अ. केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय पुरोनिधारित योजनाएं एवं केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं) ब. राज्य आयोजनागत योजनाएं
परिशिष्ट-VI	राज्य में क्रियान्वयन एजेन्सियों को केन्द्रीय योजना निधियों का सीधा अन्तरण (राज्य बजट के बाहर से प्राप्त निधियाँ) (असंप्रेक्षित आँकड़े)
परिशिष्ट-VII	शेषों की स्वीकृति एवं मिलान (जैसा विवरण संख्या 18 एवं 21 में दर्शाया गया है)
परिशिष्ट-VIII	सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम
परिशिष्ट-IX	सरकार की वचनबद्धता – अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की सूची
परिशिष्ट-X	वेतन एवं गैर वेतन भाग में विभक्त अनुरक्षण व्यय
परिशिष्ट-XI	वर्ष के दौरान सरकार के प्रमुख नीतिगत निर्णय अथवा बजट में प्रस्तावित नई योजनाएं
परिशिष्ट-XII	सरकार की वचनबद्ध देयताएं
परिशिष्ट-XIII	मर्दे, जिनके लिये राज्यों के मध्य शेषों का विभाजन राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप अन्तिम रूप से नहीं हुआ है

परिशिष्ट 1.3	वर्ष 2015-16 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार (संदर्भ: प्रस्तर 1.1.1 एवं 1.5; पृष्ठ 2 एवं 22)
-------------------------	--

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण						
2014-15		2015-16	2014-15			आयोजनेत्तर	आयोजनागत	2015-16	
भाग 'अ'									
1,93,421.60	I	राजस्व प्राप्तियाँ	2,27,075.94	1,71,027.32	I	राजस्व व्यय	169484.63	43251.32	212735.95
74,172.42		-कर राजस्व	81,106.26	64,305.73		सामान्य सेवाएं	72205.73	22.19	72227.92
				60,905.78		सामाजिक सेवाएं	46437.20	36049.26	82486.46
1,99,34.80		- करेतर राजस्व	23,134.65	33,949.05		-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	29749.89	15327.46	45077.35
				10,075.73		-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	6046.64	5148.57	11195.21
66,622.91		- संघीय करों में राज्यांश	90,973.69	2,048.32		-जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	1692.71	2231.63	3924.34
				74.05		-सूचना एवं प्रसारण	188.91	1.44	190.35
6,808.88		-आयोजनेत्तर अनुदान	8,273.90	1,765.01		-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1117.87	3392.91	4510.78
6,576.02		-राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	1,933.17	1,032.31		-श्रम तथा श्रमिक कल्याण	387.10	127.00	514.10
				11,890.64		-समाज कल्याण तथा पोषण	7174.98	9820.10	16995.08
19,306.57		-केन्द्रीय तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं हेतु अनुदान	21,654.27	70.67		-अन्य	79.10	0.15	79.25
0.00		वाह्य अनुदान सहायता	0.00	34,885.24		आर्थिक सेवाएँ	40701.42	7179.87	47881.29
				5,626.58		-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध सेवाएँ	2945.37	2152.46	5097.83
				6,292.02		-ग्राम्य विकास	4131.56	3582.60	7714.16
				373.27		-विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	0.00	11.68	11.68
				5,348.60		-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	4494.18	727.75	5221.93

				12,340.18		-ऊर्जा	21938.68	282.32	22225.00
				1,001.39		-उद्योग एवं खनिज	2733.68	348.50	3082.18
				3,173.23		-परिवहन	3544.90	27.70	3572.60
				37.79		-विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	18.63	19.14	37.77
				692.18		-सामान्य आर्थिक सेवाएं	894.42	23.72	918.14
				10,930.57		सहायता अनुदान एवं अंशदान	10140.28	0.00	10140.28
1,93,421.60		योग	2,27,075.94	1,71,027.32		योग	1,69,484.63	43,251.32	2,12,735.95
शून्य	II	राजस्व घाटा भाग 'ब' को अग्रेषित	शून्य	22,394.28	II	राजस्व आधिक्य भाग 'ब'को अग्रेषित	-	-	14,339.99
1,93,421.60		योग	2,27,075.94	1,93,421.60		योग			2,27,075.94
भाग 'ब'									
4,020.63	III	प्रारम्भिक रोकड़ शेष, स्थाई अग्रिम एवं रोकड़ शेष निवेश सहित	(-)401.32	-	III	भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारम्भिक ओवरड्राफ्ट	-	-	-
-	IV	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	-	53,297.28	IV	पूंजीगत परिव्यय	15,377.84	49,044.89	64,422.73
				4,008.68		सामान्य सेवाएं	2,049.22	3,209.86	5,259.08
				12,754.72		सामाजिक सेवाएं	71.07	11,635.69	11,706.76
				1,385.18		-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	1.72	1,128.72	1,130.44
				1,900.71		-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	16.09	2,239.92	2,256.01
				8,483.47		-जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	51.54	7,234.94	7,286.48
				62.32		-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	0.00	117.31	117.31
				601.46		-समाज कल्याण तथा पोषण	0.28	661.89	662.17
				321.58		-अन्य	1.44	252.91	254.35
				36,533.88		आर्थिक सेवाएं	13,257.55	34,199.34	47,456.89
				1,406.46		-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध क्रियाकलाप	1,793.86	477.92	2,271.78

				4,442.94	-ग्राम्य विकास	(-)0.05	4,756.93	4,756.88
				1,081.99	-विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	0.00	554.42	554.42
				4,093.03	-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1.00	5,050.88	5,051.88
				10,959.96	-ऊर्जा	11,398.13	7,410.97	18,809.10
				54.75	-उद्योग एवं खनिज	7.17	84.68	91.85
				14,337.73	-परिवहन	57.44	15,658.01	15,715.45
				147.02	-सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.00	203.53	203.53
				10.00	-विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	0.00	2.00	2.00
262.48	V	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	725.63	1,872.64	V संवितरित ऋण तथा अग्रिम	9,117.91		9,117.91
109.71		-विद्युत परियोजनाओं से		-	-विद्युत परियोजनाओं हेतु	6,083.12		6,083.12
96.61		-सरकारी कर्मचारियों से		102.74	-सरकारी कर्मचारियों को	106.79		106.79
56.16		-अन्य से		1,769.90	-अन्य को	2,928.00		2,928.00
22,394.28	VI	अधोनीत राजस्व अधिशेष	14339.99	-	VI अधोनीत राजस्व घाटा			
35,520.28	VII	लोक ऋण प्राप्तियां	74513.58	9,411.21	VII लोक ऋण का पुनर्भुगतान	17,672.76		17,672.76
33,302.35		-अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओवरड्राफ्ट से भिन्न आन्तरिक ऋण	69,421.17	8,050.64	-अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओवरड्राफ्ट से भिन्न आन्तरिक ऋण	10,044.95		10,044.95
1,731.95		-अर्थोपाय अग्रिम के अन्तर्गत निवल लेन देन	4,498.55	00	-अर्थोपाय अग्रिम के अन्तर्गत निवल लेन देन	6,230.51		6,230.51
00		-ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन देन	-	00	-ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन देन			0.00
485.98		-केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम	593.86	1,360.57	-केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान	1,397.30		1,397.30
-	VIII	आकस्मिकता निधि से विनियोग	-	-	VIII आकस्मिकता निधि को विनियोग			-
0.55	IX	आकस्मिकता निधि को स्थानान्तरित धनराशि	201.28	203.15	IX आकस्मिकता निधि से व्यय	44.07		44.07

2,30,199.19	X	लोक लेखा प्राप्तियां	2,65,971.96	2,28,014.45	X	लोक लेखा संवितरण	-	-	2,64,293.87
9,987.94		-अल्प बचतें एवं भविष्य निधियां	10,302.77	8,301.56		-अल्प बचतें एवं भविष्य निधियां	-	-	8,768.41
9,991.69		-आरक्षित निधियां	15598.88	12,685.93		-आरक्षित निधियां	-	-	13,038.35
1,66,335.90		-उचन्त एवं विविध	1,98,734.45	1,65,800.48		-उचन्त एवं विविध	-	-	1,99,411.79
27,698.35		-प्रेषण	27,976.77	26,090.77		-प्रेषण	-	-	28,173.38
16,185.31		-जमा तथा अग्रिम	13,359.09	15,135.71		-जमा तथा अग्रिम	-	-	14,901.94
-	XI	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट का अंतिम अवशेष		(-) 401.32	XI	अंतिम रोकड़ शेष	-	-	(-) 200.21
				00		-कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	-	-	00
				(-) 1,009.27		भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	-	-	(-) 1,409.33
				12.60		-स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष	-	-	12.68
				595.35		-रोकड़ शेष निवेश लेखा	-	-	1,196.44
4,85,819.01		योग	5,68,087.07	4,85,819.01		योग			5,68,087.07

(#) ₹ एक लाख से कम धनराशि

परिशिष्ट 1.4	वर्ष 2015-16 के लिए वास्तविक प्राप्तियों एवं व्यय की बजट अनुमान से तुलना <i>(संदर्भ: प्रस्तर 1.1.3; पृष्ठ 6)</i>
-------------------------	--

(₹ करोड़ में)

विवरण	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	वृद्धि(+)/ कमी (-)	वृद्धि(+)/ कमी (-) प्रतिशत में
1	2	3	4 (3-2)	5
राजस्व प्राप्तियाँ जिसमें	2,49,880.23	2,27,075.94	-22,804.29	-9.13
कर राजस्व	91,915.00	81,106.26	-10,808.74	-11.76
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	52,673.00	47,692.40	-4,980.60	-9.46
राज्य आबकारी	17,500.00	14,083.54	-3416.46	-19.52
वाहनों पर कर	4,658.00	4,409.34	-248.66	-5.34
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	14,836.00	12,403.72	-2432.28	-16.39
सामान एवं यात्रियों पर कर	00	0.79	0.79	0
भू-राजस्व	600.00	505.31	-94.69	-15.78
अन्य कर	1,648.00	2,010.76	362.76	22.01
करेतर राजस्व	21,636.32	23,134.65	1,498.33	6.93
ब्याज प्राप्तियाँ	1,000.00	632.78	-367.22	-36.72
विविध सामान्य सेवाएँ	4,774.00	4,949.22	175.22	3.67
अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	1,500.00	1,222.17	-277.83	-18.52
अन्य करेतर राजस्व	15,847.32	16,330.48	483.16	3.05
केन्द्रीय करों एवं शुल्कों का अंश	86,729.11	90,973.69	4,244.58	4.89
भारत सरकार से सहायता अनुदान	49,599.80	31,861.34	-17,738.46	-35.76
राजस्व व्यय जिसमें	2,15,756.18	2,12,735.95	-3,020.23	-1.40
सामान्य सेवाएँ	80,923.25	72,227.92	-8,695.33	-10.75
प्रशासनिक सेवाएँ	17,683.95	14,657.60	-3,026.35	-17.11
पेन्शन एवं विविध सामान्य सेवाएँ	28,845.11	24,184.45	-4,660.66	-16.16
ब्याज का भुगतान तथा ऋण सेवा	28,685.22	24,414.65	-4,270.57	-14.89
राजकोषीय सेवाएँ	3,478.27	2,993.34	-484.93	-13.94
राज्य के अंग	2,230.70	1,977.89	-252.81	-11.33
सामाजिक सेवाएँ	84,969.91	82,486.46	-2,483.45	-2.92
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	46,700.52	45,077.35	-1,623.17	-3.48
समाज कल्याण एवं पोषण	13,809.24	16,995.08	3,185.84	23.07
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	4,927.19	4,510.78	- 416.41	- 8.45
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	13,808.93	11,195.21	-2,613.72	-18.93
जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	4,128.45	3,924.34	-204.11	-4.94
सूचना एवं प्रसारण	177.09	190.35	13.26	7.49
श्रम एवं श्रमिक कल्याण	1,323.13	514.10	- 809.03	-61.15

अन्य	95.36	79.25	-16.11	-16.89
आर्थिक सेवाएं	39,686.37	47,881.29	8,194.92	20.65
कृषि तथा सम्बद्ध सेवाएं	6,136.88	5,097.83	-1,039.05	-16.93
ग्राम्य विकास	9,836.85	7,714.16	-2,122.69	-21.58
विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	873.38	11.68	-861.70	-98.66
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	6,957.52	5,221.93	-1,735.59	-24.95
ऊर्जा	9,579.78	22,225.00	12,645.22	132.00
उद्योग एवं खनिज	2,025.17	3,082.18	1,057.01	52.19
परिवहन	3,298.57	3,572.60	274.03	8.31
विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	50.78	37.77	-13.01	-25.62
सामान्य आर्थिक सेवाएं	927.44	918.14	-9.3	-1.00
सहायता अनुदान एवं अंशदान	10,176.65	10,140.28	-36.37	-0.36
पूँजीगत व्यय जिसमें	63,154.26	64,422.72	1,268.46	2.01
सामान्य सेवाएं	5,511.06	5,259.08	-251.98	-4.57
सामाजिक सेवाएं	15,278.18	11,706.76	3,571.42	-23.38
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	2,886.73	1,130.44	-1,756.29	-60.84
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,150.23	2,256.01	105.78	4.92
जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	8,458.70	7,286.48	-1,172.22	-13.86
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	158.97	117.31	-41.66	-26.21
समाज कल्याण एवं पोषण	1,328.13	662.17	-665.96	-50.14
अन्य सामाजिक सेवाएं	295.42	254.35	-41.07	-13.90
आर्थिक सेवाएं	42,365.02	47,456.89	5,091.87	12.02
कृषि तथा सम्बद्ध सेवाएं	1,386.22	2,271.78	885.56	63.88
ग्राम्य विकास	4,835.02	4,756.88	-78.14	-1.62
विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	1,170.00	554.42	-615.58	-52.61
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	5,336.51	5,051.88	-284.63	-5.33
ऊर्जा	14,171.51	18,809.10	4,637.59	32.72
उद्योग एवं खनिज	87.22	91.85	4.63	5.31
परिवहन	15,196.49	15,715.45	518.96	3.41
विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	4.00	2.00	-2	-50.00
सामान्य आर्थिक सेवाएं	178.05	203.53	25.48	14.31
राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (-)	(+) 34,124.05	(+) 14,339.99	-19,784.06	-57.98
राजकोषीय घाटा (-)	(-) 31,559.80	(-) 58,475.01	-26,915.21	85.28
प्राथमिक आधिक्य (+)/घाटा (-)	(-) 10,442.83	(-) 37,027.14	-26,584.31	254.57

परिशिष्ट 1.5	राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आँकड़े (संदर्भ: प्रस्तर 1.3; पृष्ठ 10)
-------------------------	--

(₹ करोड़ में)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
भाग अ. प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	1,30,869	1,45,904	1,68,214	1,93,422	2,27,076
(i) स्वयं के कर राजस्व	52,613 (40)	58,098(40)	66,582(40)	74,172(38)	81,106(36)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	33,107 (63)	34,870 (60)	39,645(60)	42,934(58)	47,692(59)
राज्य आबकारी	8,139 (15)	9,782 (17)	11,644(18)	13,483(18)	14,084(17)
वाहनों पर कर	2,376 (4)	2,993 (5)	3,441(5)	3,797(5)	4,410(5)
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	7,694 (15)	8,742 (15)	9,521(14)	11,803(16)	12,404(15)
भू-राजस्व	491 (1)	805 (1)	772(1)	527(1)	505(1)
सामान तथा यात्रियों पर कर	5 (0)	1 (0)	1(0)	1(0)	1(0)
अन्य कर	801 (2)	905 (2)	1,558(2)	1,627(2)	2,010(3)
(ii) करेतर राजस्व	10,145 (8)	12,970 (9)	16,450(10)	19,935(10)	23,135(10)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	50,351 (38)	57,498 (39)	62,777(37)	66,623(35)	90,974(40)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	17,760 (14)	17,338 (12)	22,405(13)	32,692(17)	31,861(14)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
3. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	133	419	589	262	726
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	1,31,002	1,46,323	1,68,803	1,93,684	2,27,802
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	19,652	15,820	14,900	35,520	74,514
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	19,336 (98)	15,493 (98)	14,502(97)	33,302(94)	69,421(93)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	31 (0)	8(0)	1,732(5)	4,499(6)
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	316 (2)	296 (2)	390(3)	486(1)	594(1)
6. संचित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	1,50,654	1,62,143	1,83,703	2,29,204	3,02,316
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	40	310	262	1	201
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	1,38,449	1,43,478	2,26,078	2,30,199	2,65,972
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	2,89,143	3,05,931	4,10,043	4,59,404	5,68,489
भाग ब. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	1,23,885 (84)	1,40,724 (85)	1,58,147(82)	1,71,027(76)	2,12,736(74)
आयोजनागत	22,616 (18)	25,878 (18)	31,657(20)	33,262(19)	43,251(20)
आयोजनेत्तर	1,01,269 (82)	1,14,846 (82)	1,26,490(80)	1,37,765(81)	1,69,485(80)
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतान सहित)	52,947 (43)	59,907 (43)	61,983(39)	64,305(38)	72,228(34)
सामाजिक सेवाएं	47,391 (38)	53,300 (38)	60,756(39)	60,906(36)	82,487(39)
आर्थिक सेवाएं	18,292 (15)	21,338 (15)	25,711(16)	34,885(20)	47,881(22)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	5,255 (4)	6,179 (4)	9,696(6)	10,931(6)	10,140(5)
11. पूंजीगत व्यय	21,574 (15)	23,834 (14)	32,863(17)	53,297(23)	64,423(23)
आयोजनागत	20,735 (96)	22,608 (95)	30,608(93)	44,416(83)	49,045(76)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
आयोजनेत्तर	839 (4)	1,226 (5)	2,255(7)	8,881(17)	15,378(24)
सामान्य सेवाएं	1,144 (5)	1,405 (6)	3,463(10)	4,009(7)	5,259(8)
सामाजिक सेवाएं	5,187 (24)	7,594 (32)	6,760(21)	12,755(24)	11,707(18)
आर्थिक सेवाएं	15,243 (71)	14,835 (62)	22,640(69)	36,534(69)	47,457(74)
12. ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	976 (1)	1,003 (1)	1,473(1)	1,873(1)	9,118(3)
13. कुल व्यय (10+11+12)	1,46,435	1,65,561	1,92,483	2,26,197	2,86,277
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	8,288	8,909	8,167	9,411	17,673
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	6,973 (84)	7,514 (84)	6,694(82)	8,051(86)	10,045(57)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	-	8(0)	-	6,231(35)
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1,315 (16)	1,395 (16)	1,465(18)	1,360(14)	1,397(8)
15. आकस्मिकता निधि को विनियोग	-	-	-	-	-
16. संचित निधि से कुल संवितरण (कुल व्यय) (13+14+15)	1,54,723	1,74,470	2,00,650	2,35,608	3,03,950
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	310	262	87	203	44
18. लोक लेखा संवितरण	1,30,971	1,29,472	2,20,459	2,28,014	2,64,294
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	2,86,004	3,04,204	4,21,196	4,63,825	5,68,288
भाग स. घाटा					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व आधिक्य (+) (1-10)	(+)6,984	(+)5,180	(+)10,067	(+) 22,394	(+) 14,340
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय आधिक्य (+) (4-13)	(-) 15,433	(-)19,238	(-)23,680	(-) 32,513	(-) 58,475
22. प्राथमिक घाटा (-)/प्राथमिक आधिक्य(+ (21+23)	(+) 48	(-)2,317	(-)6,268	(-) 13,648	(-) 37,027
भाग द. अन्य आंकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	15,481	16,921	17,412	18,865	21,448
24. स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता, इत्यादि	39,214	43,212	45,576	52,241	77,069
25. अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट का लाभ (दिनों में)	-	-	-	-	14
अर्थोपाय अग्रिम का उपभोग (दिनों में)	-	-	-	-	-
ओवरड्राफ्ट का उपभोग (दिनों में)	-	-	-	-	-
26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	-	-	-	-	-
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)⁷	7,24,049	8,22,903	9,44,146	10,43,371	11,53,795
28. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्षान्त)	2,43,229	2,59,621	2,81,709	3,07,859	3,67,252
29. बकाया प्रत्याभूतियाँ (वर्षान्त) ब्याज सहित	21,752	43,337	62,822	70,740	57,618
30. अधिकतम प्रत्याभूत धनराशियाँ (वर्षान्त)	29,629	50,459	69,752	78,023	78,826
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	183	383	412	545	924
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी	2,453	3,393	3,032	7,714	14,407

⁷वर्ष 2011-12 से सकल राज्य घरेलू उत्पाद की नई श्रृंखला जारी की गयी।

भाग य. राजकोषीय स्थिति के संकेतक

I. संसाधनों का संग्रहण

स्वयं का कर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	7.27	7.06	7.05	7.11	7.03
करेतर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.40	1.58	1.74	1.91	2.01
केन्द्रीय स्थानान्तरण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	6.95	6.99	6.65	6.39	7.88

II. व्यय प्रबन्धन

कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	20.22	20.12	20.39	21.68	24.81
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	111.89	113.47	114.43	116.94	126.07
राजस्व व्यय/कुल व्यय	84.60	85.00	82.16	75.61	74.31
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	36	37	35	33	33
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	23	22	25	32	33
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	15	14	17	24	23
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर कुल पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	14	14	15	22	21

III. राजकोषीय असन्तुलन का प्रबन्धन

राजस्व घाटा (आधिक्य)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(+)0.96	(+)0.63	(+)1.07	(+)2.15	(+)1.24
राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-)2.13	(-)2.34	(-)2.51	(-)3.12	(-)5.07
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(+)0.007	(-)0.28	(-)0.66	(-)1.31	(-)3.21
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	-	-	-	-	-
प्राथमिक राजस्व शेष/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 1.17	(-)1.43	(-)0.78	(+)0.34	(-)0.62

IV. राजकोषीय देयताओं का प्रबन्धन

राजकोषीय देयताएं/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	34	32	30	30	32
राजकोषीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियाँ	186	178	167	159	162

V. अन्य राजकोषीय स्थिति के संकेतक

निवेश पर प्रतिफल	38.17	62.70	5.23	8.08	42.66
चालू राजस्व से अवशेष	24,864	26,323	35,617	32,275	27,037
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ/देयताएं	0.81	0.85	0.89	0.97	1.02

कोष्ठक में दिए गये अंक प्रत्येक उपशीर्षक का कुल योग से प्रतिशत (पूर्णांक) प्रदर्शित करता है।

परिशिष्ट 1.6	(अ) वर्ष 2011-16 की अवधि में स्वयं का कर राजस्व (ब) वर्ष 2011-16 की अवधि में करेतर राजस्व (सन्दर्भ: प्रस्तर 1.3.1; पृष्ठ 12)
-----------------	--

(अ) वर्ष 2011-16 की अवधि में स्वयं का कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	
					बजट अनुमान	वास्तविक व्यय
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	33,107	34,870	39,645	42,934	52,673	47,692
राज्य आबकारी	8,139	9,782	11,644	13,483	17,500	14,084
वाहनों पर कर	2,376	2,993	3,441	3,797	4,658	4,410
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	7,694	8,742	9,521	11,803	14,836	12,404
भू-राजस्व	491	805	772	527	600	505
सामान एवं यात्रियों पर कर	5	1	1	1	00	1
अन्य कर	801	905	1,558	1,627	1,648	2,010
योग (अ)	52,613	58,098	66,582	74,172	91,915	81,106

(ब) वर्ष 2011-16 की अवधि में करेतर राजस्व

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	
					बजट अनुमान	वास्तविक व्यय
ब्याज प्राप्तियां, लाभांश एवं लाभ	827	1,249	1,624	2,310	1,008	676
सामान्य सेवायें	4,907	5,069	3,907	7,122	5,716	6,114
सामाजिक सेवायें	2,662	4,670	7,159	6,514	8,621	11,264
आर्थिक सेवायें	1,749	1,982	3,760	3,988	6,291	5,081
योग (ब)	10,145	12,970	16,450	19,935	21,636	23,135
कुल योग (अ+ब)	62,758	71,068	83,032	94,107	1,13,551	1,04,241

परिशिष्ट 1.7	31 मार्च 2016 को सरकार की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त सार (संदर्भ: प्रस्तर 1.9.1 एवं 1.9.2; पृष्ठ 35)
-------------------------	---

(₹ करोड़ में)

31.03.2015 को			31.03.2016 को
देयताएं			
1,83,191.54	आन्तरिक ऋण		2,40,835.79
1,02,667.36	ब्याज सहित बाजार ऋण	1,27,968.32	
2.77	ब्याज रहित बाजार ऋण	2.65	
6.43	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	4.15	
78,783.03	अन्य संस्थानों से ऋण	1,12,860.67	
1,731.95	अर्थोपाय अग्रिम	00	
00	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्रापट	00	
14,461.65	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम		13,658.21
9.94	1984-85 से पहले का ऋण	9.94	
79.41	आयोजनेतर ऋण	72.42	
14,360.68	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	13,564.23	
00	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	00	
10.19	केन्द्रीय पुरोनिधानित आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	10.19	
1.43	अर्थोपाय अग्रिम	1.43	
600.00	आकस्मिकता निधि (कॉर्पस)		600.00
45,120.93	अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि		46,655.29
23,855.22	निक्षेप		22,312.18
41,229.79	आरक्षित निधियां		43,790.33
2,929.37	प्रेषण शेष		2,732.76
-	सरकारी लेखों में आधिक्य		6,401.55
	(i) वर्ष के प्रारम्भ में संचयी घाटा	7,938.45	
	(ii) घटाना: वर्तमान वर्ष में राजस्व आधिक्य	14,339.99	
3,11,388.50	योग		3,76,986.11
परिसम्पत्तियां			
2,88,433.56	अचल सम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय		3,52,856.28
58,606.06	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	84,356.79	
2,29,827.50	अन्य पूंजीगत परिव्यय	2,68,499.49	
289.29	आकस्मिकता निधि (असमायोजित)		132.08
14,066.37	ऋण एवं अग्रिम		22,458.65

1,930.43	विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	8,013.55	
11,916.89	अन्य विकास ऋण	14,219.52	
219.05	सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं विविध ऋण	225.57	
45.20	आरक्षित निधियों में निवेश		45.20
8.94	अग्रिम		8.75
1,008.01	उचन्त एवं विविध शेष		1,685.36
(-) 401.32	रोकड़		(-) 200.21
00	कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	00	
(-) 1,009.27	भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	(-) 1,409.33	
12.17	विभागीय रोकड़ शेष	12.21	
0.43	स्थायी अग्रिम	0.47	
595.35	रोकड़ शेष निवेश	1,196.44	
7,938.45	सरकारी लेखों में घाटा		-
30,332.73	(i) वर्ष के प्रारम्भ में संचयी घाटा		
22,394.28	(ii) घटाना: वर्तमान वर्ष में राजस्व आधिक्य		
3,11,388.50	योग		3,76,986.11

परिशिष्ट 1.3 एवं 1.7 के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

पूर्ववर्ती विवरणों में संक्षिप्त लेखे को वित्त लेखे में दिए गये विवरणों एवं टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाय। सरकारी लेखे मुख्यतया रोकड़ आधारित होते हैं, सरकारी लेखे में घाटे, जैसा कि **परिशिष्ट 1.7** में प्रदर्शित है, नकदी आधार पर प्रदर्शित है, सम्भूति आधारित वाणिज्यिक लेखाओं से भिन्न है। फलस्वरूप, देय या प्राप्य मद का ह्रास अथवा भंडार लेखा में विचलन इत्यादि मद लेखे में अंकित नहीं है। उचन्त एवं विविध अवशेष में ऐसे निर्गत चेक जिनका भुगतान नहीं किया गया, राज्य की ओर से किए गये भुगतान एवं अन्य लम्बित समाधान सम्मिलित है। "रिजर्व बैंक में निक्षेप" के अर्न्तगत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित एवं लेखे में प्रदर्शित आंकड़ों के बीच ₹ 66.56 करोड़ (**निवल डेविट**) का अन्तर था।

परिशिष्ट 1.8	आरक्षित निधियों का विवरण <i>(संदर्भ : प्रस्तर 1.9.3; पृष्ठ 36)</i>
-------------------------	--

(₹ लाख में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	संवितरण	अंतिम शेष
2013-14				
आरक्षित निधियाँ				
ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ				
8115-मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	1,848.54	00	00	1,848.54
103-मूल्यहास/आरक्षित निधि-सरकारी वाणिज्यिक विभाग तथा उपक्रम	6,290.11	00	00	6,290.11
105-मूल्यहास आरक्षित निधि-निवेश खाता	-4,441.57	00	00	-4,441.57
8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ	126.69	00	00	126.69
102-कृषि प्रयोजनों के लिये विकास निधि	120.50	00	00	120.50
111-आकस्मिकता आरक्षित निधि-विद्युत	6.19	00	00	6.19
योग	1,975.23	00	00	1,975.23
ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ				
8222- सिंकिंग फण्ड	34,83,444.33	836424.60	294598.00	40,25,270.93
01-ऋण घटाने या उसके परिहार के लिये विनियोजन	34,83,444.33	836424.60	294598.00	40,25,270.93
101- सिंकिंग फण्ड				
8223- अकाल राहत निधि	853.50	00	00	853.50
101-अकाल राहत निधि	931.51	00	00	931.51
102-अकाल राहत निधि-निवेश लेखा	-78.01	00	00	-78.01
8225- सड़कें एवं सेतु निधि	5,744.65	2,10,000.00	00	2,15,744.65
101-राज्य सड़क तथा सेतु निधि	5,744.65	2,10,000.00	00	2,15,744.65
8226- मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	4,920.77	1,011.00	00	5,931.77
102-सरकारी अवाणिज्यिक विभागों की मूल्यहास आरक्षित निधि	4,920.77	1,011.00	00	5,931.77
8229- विकास एवं कल्याण निधि	53,905.26	2,00,066.31	1,44,609.62	1,09,361.95
101-शिक्षा प्रयोजनों के लिए विकास निधि	4,326.07	40.60	39.29	4,327.38
102-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिये विकास निधि	1,088.84	00	00	1,088.84
105-चीनी विकास निधि	1,000.00	00	00	1,000.00
106-औद्योगिक विकास निधि	3,022.38	00	00	3,022.38
109-सहकारी विकास निधि	4.77	00	00	4.77
200-अन्य विकास तथा कल्याण निधि	44,463.20	2,00,025.71	1,44,570.33	99,918.58
8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ	41,618.80	50,034.47	62,907.36	28,745.91
101-सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य आरक्षित निधियाँ	488.50	10.04	00	498.54
102-जमींदारी उन्मूलन निधि	707.78	00	00	707.78
103-धार्मिक तथा पूर्त न्यास निधि	33.79	00	00	33.79
105-सामान्य बीमा निधि	27.78	00	00	27.78
111-राज्य आपदा अनुक्रिया निधि	33,224.17	48,772.63	62,907.36	19,089.44
200-अन्य निधियाँ	7,136.78	1,251.80	00	8,388.58
योग	35,90,487.31	12,97,536.38	5,02,114.98	43,85,908.71
महायोग	35,92,462.54	12,97,536.38	5,02,114.98	43,87,883.94

2014-15				
आरक्षित निधियाँ				
ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ				
8115-मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	1,848.54	00	6,290.11	-4,441.57
103-मूल्यहास/आरक्षित निधि-सरकारी वाणिज्यिक विभाग तथा उपक्रम	6,290.11	00	6,290.11	00
105-मूल्यहास आरक्षित निधि-निवेश खाता	-4,441.57	00	00	-4,441.57
8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ	126.69	00	126.69	0.00
102-कृषि प्रयोजनों के लिये विकास निधि	120.50	00	126.69	-6.19
111-आकस्मिकता आरक्षित निधि-विद्युत	6.19	00	00	6.19
योग	1,975.23	00	6,416.80	-4,441.57
ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ				
8222- सिंकिंग फण्ड	40,25,270.93	4,50,000.00	3,98,780.60	4,076,490.33
01-ऋण घटाने या उसके परिहार के लिये विनियोजन 101- सिंकिंग फण्ड	40,25,270.93	4,50,000.00	3,98,780.60	4,076,490.33
8223- अकाल राहत निधि	853.50	00	931.51	-78.01
101-अकाल राहत निधि	931.51	00	931.51	0.00
102-अकाल राहत निधि-निवेश लेखा	-78.01	00	00	-78.01
8225- सड़कें एवं सेतु निधि	2,15,744.65	2,80,000.00	5,27,918.38	-32,173.73
101-राज्य सड़क तथा सेतु निधि	2,15,744.65	2,80,000.00	5,27,918.38	-32,173.73
8226- मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	5,931.77	00	1,901.80	4,029.97
102-सरकारी अवाणिज्यिक विभागों की मूल्यहास आरक्षित निधि	5,931.77	00	1,901.80	4,029.97
8229- विकास एवं कल्याण निधि	1,09,361.95	2,00,565.15	2,65,934.33	43,992.77
101-शिक्षा प्रयोजनों के लिए विकास निधि	4,327.38	2,00,565.14	20,102.35	1,84,790.17
102-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिये विकास निधि	1,088.84	00	00	1,088.84
105-चीनी विकास निधि	1,000.00	00	00	1,000.00
106-औद्योगिक विकास निधि	3,022.38	00	00	3,022.38
109-सहकारी विकास निधि	4.77	0.01	00	4.78
200-अन्य विकास तथा कल्याण निधि	99,918.58	00	2,45,831.98	-1,45,913.40
8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ	28,745.91	68,603.79	66,709.73	30,639.97
101-सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य आरक्षित निधियाँ	498.54	586.52	735.56	349.50
102-जमींदारी उन्मूलन निधि	707.78	00	00	707.78
103-धार्मिक तथा पूर्त न्यास निधि	33.79	00	00	33.79
105-सामान्य बीमा निधि	27.78	00	00	27.78
111-राज्य आपदा अनुक्रिया निधि	19,089.44	65,590.58	65,123.45	19,556.57
200-अन्य निधियाँ	8,388.58	2,426.69	850.72	9,964.55
योग	43,85,908.71	9,99,168.94	12,62,176.35	41,22,901.30
महायोग	43,87,883.94	9,99,168.94	12,68,593.15	41,18,459.73

परिशिष्ट 2.1	<p>अनुदानों/विनियोगों का विवरण, जहाँ प्रत्येक अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत व्यय ₹ दस करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था</p> <p>(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.3.1; पृष्ठ. 53)</p>
-----------------	---

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान/विभाग का नाम	कुल अनुदान	कुल व्यय	अधिक व्यय की प्रतिशतता
राजस्व – दत्तमत					
1.	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	93.16	101.51	09
2.	57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	19.00	20.87	10
3.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	4,027.73	4,308.97	07
योग			4,139.89	4,431.35	07
राजस्व – भारित					
4.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	0.15	1.13	653
5.	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	0.02	0.06	200
6.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	0.19	1.03	442
7.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	31.51	32.72	04
योग			31.87	34.94	10
पूँजीगत – दत्तमत					
8.	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	81.31	110.50	36
9.	57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	1,380.56	1,519.15	10
10.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	8,358.88	10,569.90	26
योग			9,820.75	12,199.55	24
महायोग			13,992.51	16,665.84	19

परिशिष्ट 2.2	अनुदानों/विनियोगों का विवरण, जहां प्रत्येक अनुदान/विनियोग में बचत ₹ दस करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी <i>(सन्दर्भ : प्रस्तर 2.3.4 पृष्ठ 55)</i>
-------------------------	--

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान/विभाग का नाम	कुल प्रावधान	व्यय	बचत	प्रतिशतता
राजस्व – दत्तमत						
1.	06	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	319.13	202.63	116.50	37
2.	07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	213.38	147.19	66.19	31
3.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)	338.55	250.79	87.76	26
4.	12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	508.19	330.10	178.09	35
5.	17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	104.36	60.31	44.05	42
6.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	300.67	240.03	60.64	20
7.	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	183.32	143.66	39.66	22
8.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	699.47	551.46	148.01	21
9.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	4,946.59	3,542.47	1,404.12	28
10.	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	620.24	375.74	244.50	39
11.	37	नगर विकास विभाग	5,273.58	3,882.86	1,390.72	26
12.	40	नियोजन विभाग	284.11	199.50	84.61	30
13.	42	न्याय विभाग	1,534.00	1,204.87	329.13	21
14.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	1,821.74	968.93	852.81	47
15.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	5,266.34	4,207.46	1,058.88	20
16.	51	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के संबंध में राहत)	6,592.78	5,274.17	1,318.61	20
17.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	1,974.61	590.58	1,384.03	70
18.	63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	267.45	171.95	95.50	36
19.	69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	451.54	269.75	181.79	40
20.	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	127.47	96.19	31.28	25
21.	86	सूचना विभाग	330.49	188.06	142.43	43
22.	90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन एवं बाजी कर)	56.93	37.29	19.64	35
23.	92	संस्कृति विभाग	68.41	45.99	22.42	33
24.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	2,768.60	2002.26	766.34	28
25.	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	3,663.60	2,729.63	933.97	25
निवल योग			38,715.55	27,713.87	11,001.68	28

पूजीगत – दत्तमत						
26.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	902.29	368.62	533.67	59
27.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	621.38	482.17	139.21	22
28.	26	गृह विभाग (पुलिस)	1,306.77	1,024.33	282.44	22
29.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	10.74	0.06	10.68	99
30.	40	नियोजन विभाग	1,932.50	1,299.80	632.70	33
31.	42	न्याय विभाग	973.01	731.24	241.77	25
32.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	1,007.33	371.89	635.44	63
33.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	186.87	110.90	75.97	41
34.	51	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के सम्बन्ध में राहत)	22.50	5.35	17.15	76
35.	69	व्यवसायिक शिक्षा विभाग	220.05	176.17	43.88	20
36.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	551.73	8.19	543.54	99
37.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	779.78	163.22	616.56	79
38.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	379.37	64.53	314.84	83
39.	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	16.74	2.07	14.67	88
40.	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	44.36	29.28	15.08	34
41.	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	162.11	113.21	48.90	30
42.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	52.34	30.95	21.39	41
43.	86	सूचना विभाग	24.00	0.00	24.00	100
44.	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्यिक कर)	62.54	23.87	38.67	62
45.	92	संस्कृति विभाग	79.71	48.55	31.16	39
निवल योग			9,336.12	5,054.40	4,281.72	46
पूजीगत – भारत						
46.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	20.00	5.00	15.00	75
निवल योग			20.00	5.00	15.00	75
महायोग			48,071.67	32,773.27	15,298.40	32

परिशिष्ट 2.3	₹ 100 करोड़ या उससे अधिक की बचत वाले अनुदानों/विनियोगों का विवरण (सन्दर्भ : प्रस्तर 2.3.4 पृष्ठ 55)
-----------------	---

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	प्रावधान			वास्तविक व्यय	बचतें
			मूल अनुदान	अनुपूरक	कुल अनुदान		
राजस्व – दत्तमत							
1	6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	312.13	7.00	319.13	202.63	116.50
2	9	ऊर्जा विभाग	11,220.88	13,504.88	24,725.76	23,743.48	982.28
3	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	3,043.74	5.16	3,048.90	2,610.16	438.74
4	12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	508.19	0.00	508.19	330.10	178.09
5	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	1,826.86	15.04	1,841.90	1,633.29	208.61
6	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	7,052.96	1,103.86	8,156.82	5,039.13	3,117.69
7	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	860.56	8.67	869.23	718.63	150.60
8	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	1,106.32	1,529.00	2,635.32	2,364.24	271.08
9	26	गृह विभाग (पुलिस)	12,457.87	0.00	12,457.87	11,111.46	1,346.41
10	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	4,818.67	38.85	4,857.52	3,918.99	938.53
11	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	679.26	20.21	699.47	551.46	148.01
12	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	4,946.59	0.00	4,946.59	3,542.48	1,404.11
13	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	611.24	9.00	620.24	375.74	244.50
14	37	नगर विकास विभाग	4,631.34	642.24	5,273.58	3,882.86	1,390.72
15	42	न्याय विभाग	1,471.30	62.70	1,534.00	1,204.88	329.12
16	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	1,768.24	53.50	1,821.74	968.93	852.81
17	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	5,264.46	1.88	5,266.34	4,207.46	1,058.88
18	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	765.18	0.50	765.68	651.94	113.74
19	51	राजस्व विभाग (देवीय आपदा के संबंध में राहत)	479.10	6,113.68	6,592.78	5,274.17	1,318.61
20	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	2,940.14	0.00	2,940.14	2,483.35	456.79
21	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	1,974.61	0.00	1,974.61	590.58	1,384.03
22	60	वन विभाग	615.70	0.00	615.70	515.61	100.09
23	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	27,017.60	0.00	27,017.60	22,351.09	4,666.51
24	69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	451.54	0.00	451.54	269.75	181.79
25	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	31,758.06	2,402.71	34,160.77	30,930.92	3,229.85
26	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	8,029.13	5.00	8,034.13	7,115.98	918.15
27	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2,004.94	4.48	2,009.42	1,730.62	278.80

28	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	5,275.05	54.00	5,329.05	4,661.60	667.45
29	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	11,612.85	1,898.89	13,511.74	11,204.96	2,306.78
30	86	सूचना विभाग	175.49	155.00	330.49	188.06	142.43
31	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	2,743.59	25.00	2,768.59	2,002.26	766.33
32	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	3,443.60	220.00	3,663.60	2,729.63	933.97
योग			1,61,867.19	27,881.25	1,89,748.44	1,59,106.44	30,642.00
राजस्व – भारित							
33	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	28,324.31	528.83	28,853.14	28,056.31	796.83
योग			28,324.31	528.83	28,853.14	28,056.31	796.83
पूंजीगत – दत्तमत							
34	9	ऊर्जा विभाग	13,402.13	13,490.91	26,893.04	24,399.24	2,493.80
35	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	890.29	12.00	902.29	368.62	533.67
36	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	10,211.58	1.00	10,212.58	8,543.47	1,669.11
37	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	621.38	0.00	621.38	482.17	139.21
38	26	गृह विभाग (पुलिस)	1,206.77	100.00	1,306.77	1,024.33	282.44
39	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	703.38	19.40	722.78	618.30	104.48
40	37	नगर विकास विभाग	1,520.00	21.92	1,541.92	1,366.96	174.96
41	40	नियोजन विभाग	1,882.50	50.00	1,932.50	1,299.80	632.70
42	42	न्याय विभाग	697.71	275.30	973.01	731.24	241.77
43	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	1,007.33	0.00	1,007.33	371.89	635.44
44	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	551.73	0.00	551.73	8.19	543.54
45	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	734.78	45.00	779.78	163.22	616.56
46	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	370.00	9.37	379.37	64.53	314.84
47	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	7,493.56	146.04	7,639.60	6,281.90	1,357.70
योग			41,293.14	14,170.94	55,464.08	45,723.86	9,740.22
पूंजीगत – भारित							
48	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	20,932.57	402.64	21,335.21	17,623.31	3,711.90
योग			20,932.57	402.64	21,335.21	17,623.31	3,711.90
महायोग			2,52,417.21	42,983.66	2,95,400.87	2,50,509.92	44,890.95

परिशिष्ट 2.4	<p>प्रकरण, जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए (सन्दर्भ: प्रस्तर 2.3.6; पृष्ठ 58)</p>
-------------------------	---

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	अनुपूरक प्रावधान	मूल प्रावधान के सापेक्ष बचत
राजस्व – दत्तमत						
1.	06	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	312.13	202.63	7.00	109.50
2.	07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	202.25	147.19	11.13	55.06
3.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)	311.54	250.79	27.01	60.75
4.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	3,043.74	2,610.16	5.16	433.58
5.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	1,826.86	1,633.29	15.04	193.57
6.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	7,052.96	5,039.13	1,103.86	2,013.83
7.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	860.56	718.63	8.67	141.93
8.	16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	82.80	75.04	3.48	7.76
9.	17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	102.33	60.31	2.04	42.02
10.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	1,387.19	1,381.92	15.16	5.27
11.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	4,818.67	3,918.99	38.85	899.68
12.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	679.26	551.46	20.21	127.80
13.	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	611.24	375.74	9.00	235.50
14.	37	नगर विकास विभाग	4,631.34	3,882.86	642.24	748.48
15.	40	नियोजन विभाग	279.11	199.50	5.00	79.61
16.	42	न्याय विभाग	1,471.30	1,204.88	62.70	266.42
17.	43	परिवहन विभाग	179.70	168.81	2.98	10.89
18.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	1,768.24	968.93	53.50	799.31
19.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	5,264.46	4,207.46	1.88	1,057.00
20.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	10,186.94	10,142.86	4.69	44.08
21.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	31,758.06	30,930.92	2,402.71	827.14
22.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	8,029.13	7,115.98	5.00	913.15
23.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2,004.94	1,730.62	4.48	274.32
24.	74	गृह विभाग (होमगार्ड्स)	580.75	578.22	3.00	2.53
25.	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	281.36	248.69	3.48	32.67
26.	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	618.94	572.83	25.00	46.11
27.	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	5,275.06	4,661.60	54.00	613.46

28.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	11,612.85	11,204.96	1,898.89	407.89
29.	92	संस्कृति विभाग	67.41	45.99	1.00	21.42
30.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	2,743.59	2,002.26	25.00	741.33
31.	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	3,443.61	2,729.63	220.00	713.98
योग			1,11,488.32	99,562.28	6,682.16	11,926.04
राजस्व – भारत						
32.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	28,324.31	28,056.31	528.83	268.00
योग			28,324.31	28,056.31	528.83	268.00
पूंजीगत – दत्तमत						
33.	03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	67.00	66.80	1.64	0.20
34.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	890.29	368.62	12.00	521.67
35.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	10,211.58	8,543.47	1.00	1,668.11
36.	26	गृह विभाग (पुलिस)	1,206.77	1,024.33	100.00	182.44
37.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	703.38	618.30	19.40	85.08
38.	37	नगर विकास विभाग	1,520.00	1,366.96	21.92	153.04
39.	40	नियोजन विभाग	1,882.50	1,299.80	50.00	582.70
40.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	181.66	110.90	5.22	70.76
41.	60	वन विभाग	338.51	324.74	27.00	13.77
42.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	2,171.40	2,106.89	5.00	64.51
43.	69	व्यवसायिक शिक्षा विभाग	207.49	176.17	12.56	31.32
44.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	734.78	163.22	45.00	571.56
45.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	369.99	64.53	9.37	305.46
46.	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	146.08	113.21	16.03	32.87
47.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	39.19	30.95	13.14	8.24
48.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	7,493.56	6,281.90	146.04	1,211.66
49.	84	सामान्य प्रशासन विभाग	0.00	0.00	4.00	0.00
50.	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्यिक कर)	59.09	23.87	3.46	35.22
51.	92	संस्कृति विभाग	65.62	48.55	14.10	17.07
योग			28,288.89	22,733.21	506.88	5,555.68
पूंजीगत – भारत						
52.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	20,932.57	17,623.31	402.64	3,309.26
योग			20,932.57	17,623.31	402.64	3,309.26
महायोग			1,89,034.09	1,67,975.11	8,120.51	21,058.98

परिशिष्ट 2.5	निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोग (सन्दर्भ: प्रस्तर 2.3.7 पृष्ठ 58)
-------------------------	---

(₹ लाख में)

क्र० स०	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	पुनर्विनियोग	आधिक्य	बचत (-)
1.	01	आबकारी विभाग	2039-001-03	339.85	7.05	0.00
2.	03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	2852-80-001-03	108.00	0.00	119.69
3.	04	उद्योग विभाग (खानें एवं खनिज)	2853-02-001-03	44.92	65.96	0.00
4.	07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	2852-80-800-11	1,270.00	7,306.99	0.00
5.	08	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री)	2058-103-03	48.00	0.00	3.32
6.			2058-103-04	31.00	3.50	0.00
7.			2058-001-03	400.00	0.18	0.00
8.	09	ऊर्जा विभाग	4801-05-190-08	33,200.69	1,162.95	0.00
9.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)	2401-001-03	1.76	0.00	0.05
10.			2401-001-05	7.02	0.00	9.49
11.			2851-107-11	43.19	0.00	43.34
12.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	2401-001-03	78.81	0.00	25.42
13.			2401-001-05	63.02	0.00	51.43
14.			2401-114-03	177.55	4.84	0.00
15.			2402-102-02	904.08	0.00	104.02
16.			2415-80-120-09	376.00	0.89	0.00
17.			2415-80-120-10	6.76	0.00	0.17
18.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	2515-001-03	289.58	0.00	0.07
19.			2515-001-04	104.14	0.00	0.39
20.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	2070-800-06	2.41	0.00	48.30
21.			2070-800-03	149.41	1.67	0.00
22.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	2403-001-03	53.71	82.92	0.00
23.			2403-101-04	170.00	0.00	169.85
24.			2403-101-02	2,759.90	0.00	90.11
25.			2403-103-07	910.43	0.00	25.00
26.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	2408-01-001-03	5.99	0.00	372.22
27.			4408-01-101-03	11,000.00	0.00	586.58
28.	22	खेल विभाग	2204-001-03	64.50	0.00	100.03
29.			2204-104-10	11.59	0.00	0.01
30.			2204-104-18	174.05	0.00	45.93
31.	25	गृह विभाग (कारागार)	2056-001-03	38.28	0.00	114.40
32.			2056-101-03	2,185.00	0.00	5,045.57

33.			2056-102-03	158.75	0.21	0.00
34.			2056-800-03	17.48	14.09	0.00
35.			4070-800-09	100.70	0.00	100.70
36.			4070-800-16	594.77	0.00	52.82
37.	26	गृह विभाग (पुलिस)	2055-001-03	87.92	0.00	300.14
38.			2055-003-04	14.00	0.00	1,708.20
39.			2055-101-03	27.39	0.00	3,504.79
40.			2055-101-04	8,279.85	0.00	9,165.98
41.			2055-104-03	2,653.02	0.00	25,814.06
42.			2055-104-06	6.00	0.00	627.86
43.			2055-108-03	17.35	0.00	341.49
44.			2055-109-03	8,256.45	0.00	69,789.98
45.			2055-109-05	1,000.00	0.00	1,371.64
46.			2055-111-03	52.20	0.00	1,951.79
47.			2055-114-03	10.10	0.00	3,945.57
48.			2055-116-03	26.18	0.00	148.17
49.			2055-800-13	1,814.29	0.00	311.39
50.			2070-108-03	255.35	0.00	3,757.68
51.			2251-090-03	5.00	0.00	179.50
52.			2055-109-04	7,681.65	0.00	937.46
53.			2055-109-07	831.63	0.00	59.93
54.			2055-800-05	2,858.57	0.00	1,054.16
55.			2235-60-200-03	2,300.00	0.00	110.10
56.			2235-60-800-04	21.66	0.00	3.52
57.			4055-207-06	1,000.00	0.00	1,003.82
58.			4055-211-07	5,969.50	0.00	0.01
59.			4055-211-11	613.04	419.50	0.00
60.			4055-800-01	2,403.31	0.00	0.01
61.	27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	2070-106-03	0.30	0.00	61.30
62.			2070-106-05	5.12	0.00	246.65
63.	28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	2235-800-03	1,270.65	0.00	1,292.68
64.			2251-200-03	10.50	0.00	27.47
65.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	2210-01-110-15	265.10	0.00	493.15
66.			2210-05-001-03	5.00	0.00	68.44
67.			2210-05-105-03	256.96	0.00	1,426.03
68.			4210-03-105-21	1,000.00	0.00	2.90
69.			4210-03-105-60	1,000.00	821.47	0.00
70.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	2210-01-110-04	2,475.89	0.00	29,931.23
71.			2210-03-110-10	900.00	0.00	40,508.54
72.			2210-80-800-08	10.00	0.00	11.87

73.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	2210-02-103-03	6.25	0.00	33.07
74.			2210-05-103-03	5.01	0.00	145.72
75.	34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी)	2210-02-102-03	10.00	0.01	0.00
76.	37	नगर विकास विभाग	2217-04-051-03	18,000.00	0.00	5.30
77.			6215-02-192-04	462.00	0.00	535.96
78.			4215-01-800-03	19,000.00	19,308.00	0.00
79.	40	नियोजन विभाग	2575-06-104-03	35.01	0.00	35.01
80.			3454-02-800-04	7,394.02	0.00	1,030.71
81.			4575-02-800-04	2,123.93	0.00	34,810.19
82.			4575-06-800-13	369.66	0.00	141.50
83.			4575-06-800-14	124.02	0.00	124.02
84.			5054-04-337-03	6,454.50	0.00	458.34
85.	41	निर्वाचन विभाग	2015-103-03	150.00	0.00	0.35
86.			2015-103-05	68.65	4.54	0.00
87.			2015-105-03	449.90	18.97	0.00
88.			2015-106-03	59.40	0.11	0.00
89.			2015-106-04	33.60	0.00	2.17
90.			2015-106-05	158.00	0.00	2.38
91.			2015-106-06	3.05	0.00	0.01
92.	42	न्याय विभाग	2014-114-04	11.66	11.12	0.00
93.			2014-114-03	120.00	0.01	0.00
94.			2235-60-200-04	412.75	0.00	0.82
95.			2014-102-05	128.55	0.01	0.00
96.			2014-800-05	714.46	0.00	41.83
97.	43	परिवहन विभाग	3055-001-03	122.58	21.69	0.00
98.			3055-797-04	400.00	0.00	400.00
99.	44	पर्यटन विभाग	3452-80-001-03	8.00	0.00	1.10
100.			3452-80-800-03	500.00	0.82	0.00
101.			5452-80-104-14	669.31	575.11	0.00
102.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2202-01-800-03	100.00	0.00	32.21
103.			2225-80-800-03	2.03	0.00	2,354.38
104.			2202-01-800-02	1,047.81	12.91	0.00
105.			2235-02-800-01	1,206.78	15.30	0.00
106.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	2235-02-103-02	82.00	0.00	502.36
107.	51	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के सम्बन्ध में राहत)	2245-05-800-04	46,800.00	0.00	305.09
108.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	2235-60-110-05	40,000.00	0.00	188.50
109.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	2059-80-001-03	280.00	0.00	102.32

110.			2059-80-001-04	750.00	0.00	975.60
111.	57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	5054-04-101-34	4,340.64	3,011.94	0.00
112.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	5054-03-337-03	799.74	4,569.22	0.00
113.			5054-03-337-13	36,055.93	4,127.48	0.00
114.			5054-04-337-05	1,833.05	5,162.91	0.00
115.			5054-04-337-13	47,899.97	18,895.75	0.00
116.			5054-04-337-83	7,000.00	4,146.27	0.00
117.			5054-04-337-86	5,000.00	1,034.64	0.00
118.			5054-04-337-88	130.93	2,623.04	0.00
119.			5054-04-337-89	418.98	1,386.24	0.00
120.			5054-04-337-84	300.62	0.00	300.62
121.			59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	2013-800-03	458.15
122.	2059-60-053-03	64.06			0.00	35.00
123.	2059-60-053-04	55.27			0.00	0.63
124.	2059-60-053-05	25.00			0.25	0.00
125.	2216-01-700-09	27.33			35.00	0.00
126.	60	वन विभाग	4406-102-06	404.18	837.69	0.00
127.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवार्यें तथा अन्य व्यय)	3604-193-03	30,529.87	0.00	30,431.67
128.			2049-01-123-04	105,484.21	0.00	0.01
129.			2049-01-200-03	1,788.70	0.00	1,510.70
130.	67	विधान परिषद सचिवालय	2011-02-103-03	4.50	0.00	577.50
131.			2011-02-102-03	186.10	0.00	93.73
132.	69	व्यवसायिक शिक्षा विभाग	2230-03-003-01	22.20	0.00	12.27
133.			2230-03-101-97	324.65	0.00	95.47
134.			4250-203-14	107.00	0.00	8.00
135.			4250-203-05	1,200.00	922.33	0.00
136.			4250-203-97	79.20	8.00	0.00
137.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	2202-01-102-31	1,802.74	0.00	0.32
138.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	2202-02-001-03	74.70	2.09	0.00
139.			2202-02-101-03	367.00	7.05	0.00
140.			2071-01-109-03	26.20	0.00	9.51
141.			2202-02-108-03	2,200.00	0.00	50.81
142.			2202-05-103-04	1,800.00	0.00	90.12
143.			73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2202-03-001-03	15.00
144.	2202-03-001-04	34.80			0.00	33.70
145.	4202-01-203-05	100.00			0.00	2.22
146.	74	गृह विभाग (होमगार्ड्स)	2070-107-03	5.00	98.90	0.00
147.			2070-107-04	42.00	0.00	496.74

148.			2070-107-07	10,000.00	0.00	140.35
149.	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	2202-80-003-11	42.36	0.00	38.50
150.	2202-80-800-01		58.00	2.78	0.00	
151.	2202-80-003-10		202.34	0.00	48.86	
152.	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	2210-01-102-03	3.00	0.00	0.23
153.	2210-01-102-04		1.11	1.63	0.00	
154.	2210-01-102-05		52.33	0.00	40.00	
155.	2230-01-001-03		10.00	0.00	0.01	
156.	2230-01-101-04		30.74	0.00	2.17	
157.	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	2052-090-03	195.00	0.00	4,892.03
158.	2052-090-07		76.72	0.00	76.16	
159.	2013-102-03		90.00	0.00	6.83	
160.	2013-104-03		100.00	0.00	7.67	
161.	2052-090-11		130.00	0.00	4.94	
162.	2220-60-800-03		70.00	0.00	0.70	
163.	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	2235-02-101-14	43.82	0.00	0.10
164.	2235-03-277-07		11,203.96	0.00	5.29	
165.	2235-80-800-03		29.00	0.00	1.70	
166.	2235-02-101-03		151.36	0.00	4.25	
167.	2235-02-101-06		19.38	0.05	0.00	
168.	2235-02-101-22		11.50	5.49	0.00	
169.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	2235-60-796-05	94.98	0.00	7.08
170.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	2217-04-789-04	5,000.00	6,998.89	0.00
171.	2235-60-789-09		4,292.25	3,848.25	0.00	
172.	2235-60-789-11		1,039.00	448.22	0.00	
173.	2403-01-789-04		277.30	2.12	0.00	
174.	4202-03-789-01		42.20	0.00	42.20	
175.	4217-60-789-01		12,808.00	7,604.73	0.00	
176.	4225-01-789-10		361.28	2,346.16	0.00	
177.	4700-36-789-10		2,881.57	0.00	0.03	
178.	5054-04-789-16		1,168.49	0.00	256.78	
179.	86		सूचना विभाग	2220-01-105-03	8.00	0.13
180.	2220-60-101-05	1,101.00		0.00	13,433.62	
181.	2220-60-102-03	23.53		0.00	0.05	
182.	2220-60-106-03	37.97		0.00	15.92	
183.	2220-60-110-03	4,000.00		0.21	0.00	
184.	91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	2030-03-001-06	20.00	0.00	20.00

185.	92	संस्कृति विभाग	2205-104-01	13.00	0.00	12.08
186.			2205-101-16	12.38	0.00	7.55
187.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	4700-04-051-10	1,049.59	0.00	44.84
188.			4700-09-051-10	481.44	0.00	920.17
189.			4700-97-051-10	2,650.37	0.00	830.45
190.			4702-102-03	450.00	0.00	878.20
191.			4700-04-051-12	1,627.80	21.39	0.00
192.			4701-05-051-10	200.00	155.44	0.00
193.			4701-27-051-10	12.50	0.00	0.44
194.			4701-29-051-10	578.40	0.89	0.00
195.			4711-01-103-06	5,349.13	1,433.43	0.00
196.			4711-01-103-08	3,283.99	345.18	0.00
197.			4711-01-103-09	1,947.43	391.61	0.00
198.			4711-01-103-23	2,583.91	0.00	294.51
			योग	5,84,462.10 अथवा 5,844.62 करोड़	1,00,436.22 अथवा 1,004.36 करोड़	3,05,381.98 अथवा 3,053.82 करोड़

परिशिष्ट 2.6	वर्ष 2015-16 में अत्यधिक धनराशियों का अभ्यर्पण (सन्दर्भ: प्रस्तर 2.3.8; पृष्ठ 58)
-------------------------	---

(₹ लाख में)

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखाशीर्ष)	प्रावधान	अभ्यर्पित धनराशि	अभ्यर्पित धनराशि (प्रतिशत में)	अभ्यर्पण का कारण
1.	1	आबकारी विभाग	2039-001-06 कम्प्यूटरीकरण और ऑनलाइन आबकारी प्रबंधन प्रणाली की स्थापना	18.00	16.05	89	अधीनस्थ कार्यालय से लघु अभ्यर्पण की प्राप्ति के कारण
2.			2039-001-04 जिला कार्यकारिणी अधिष्ठान	20.00	17.65	88	भुगतान के लिए गैर लंबित बिलों के कारण
3.			4059-01-051-05 जिला संत रविदास नगर में कार्यालय भवन एवं आबकारी गोदाम का निर्माण	17.49	17.49	100	राशि के खाते में लेने से इन्कार एवं कार्यकारी एजेन्सी द्वारा मौजूदा अनुमान पर कार्य करने के कारण
4.			4059-01-051-08 जिला संत कबीर नगर में कार्यालय भवन का निर्माण	12.45	12.45	100	स्वीकृति न मिलने के कारण
5.	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	2851-102-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	300.00	250.57	84	केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण
6.			2851-102-20 उद्यमिता विकास संस्थान को अनुदान	30.00	30.00	100	अध्यक्ष का नामांकन न होने के कारण
7.			2851-102-23 महिला उद्यमी प्रोत्साहन के तहत ब्याज उपादान	50.00	36.85	74	महिला उद्यमी की अपर्याप्त संख्या के कारण
8.	6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	2851-102-03 उत्तर प्रदेश कपड़ा उद्योग नीति 2014 के तहत मेगा परियोजना का कार्यान्वयन	1,000.00	1,000.00	100	योजना के दिशा निर्देशों के न जारी करने के कारण
9.			2851-102-04 उत्तर प्रदेश कपड़ा उद्योग नीति 2014 हेतु उपादान ब्याज योजना	2,000.00	2,000.00	100	योजना के दिशा-निर्देशों के न जारी करने के कारण
10.			2851-103-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	6,590.44	3,814.38	58	योजना के अधीन केन्द्रांश की स्वीकृति न होने के कारण
11.			2851-108-03 गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत (सौर ऊर्जा) उत्तर प्रदेश के विद्युत्करघा बुनकरों के लिए ऑपरेशन योजना	4,395.50	4,395.50	100	केन्द्रांश की स्वीकृति न होने एवं योजना का दिशा-निर्देश न होने के कारण
12.			4851-103-03 जिला आजमगढ़ के मुबारकपुर में हथकरघा उद्योग के लिए विपणन केन्द्र की स्थापना	735.08	530.57	72	राशि के निर्गत न होने के कारण
13.	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	2852-07-202-16 उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2012 का कार्यान्वयन	650.00	650.00	100	निर्गत धनराशि का प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण

14.			2852-07-202-19 मेगा कॉल सेन्टर की स्थापना के लिए सलाहकार संस्थान और सिस्टम इंटीग्रेटर के लिए भुगतान	896.07	831.29	93	मेगा कॉल सेन्टर के लिए इंटीग्रेटर प्रणाली के चयन न होने के कारण
15.			2852-80-800-04 निजी संगठन के सहयोग से एक्सप्रेस-वे परियोजनाएं	630.50	630.50	100	ई0पी0सी0 प्रणाली के संचालन के लिए राशि के आहरण न होने के कारण
16.			2852-80-800-06 अदालतों में मुकदमों के अनुसरण	60.00	54.18	90	सभी व्यय के भुगतान के बाद बचत के कारण
17.			2852-80-800-08 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजनाओं तथा सार्वजनिक तथा सहाकारी क्षेत्र की इकाइयों का विनिवेश व निजीकरण	655.00	623.34	95	सम्बन्धित विभागों से परिपक्व प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण
18.			2885-60-800-19 अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 का कार्यान्वयन	1,750.00	1,344.07	77	नोडल एजेन्सी से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण
19.	9	ऊर्जा विभाग	4801-01-190-04 उत्तर प्रदेश हाइड्रो इलेक्ट्रिक उत्पादन निगम में शेयर पूंजी निवेश	80.00	80.00	100	उत्तर प्रदेश हाइड्रो इलेक्ट्रिक उत्पादन निगम को बजट प्रावधान की आवश्यकता न होने के कारण
20.			4801-80-190-03 टिहरी हाइड्रो विकास निगम में निवेश	2,180.00	2,180.00	100	टिहरी हाइड्रो विकास निगम से सूचना प्राप्त न होने के कारण
21.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)	2401-108-07 उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति 2014 का कार्यान्वयन	34.00	29.19	86	व्यय न होने के कारण
22.			4406-02-112-03 लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क	90.20	60.87	67	व्यय न होने के कारण
23.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	2401-114-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	355.11	177.56	50	गलत बजट प्रावधान के कारण
24.			2415-80-120-30 उत्तर प्रदेश कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार योजना	20.00	20.00	100	वैज्ञानिक का चयन न होने के कारण
25.			2401-001-03 कृषि निदेशालय की सामान्य स्थापना	15.00	11.95	80	वास्तविक मांग के आधार पर बचत होने के कारण
26.			4401-190-02 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	1,500.00	1,500.00	100	परियोजनाओं के अनुमोदन न होने के कारण
27.			4401-800-02 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	35,800.00	33,473.71	94	परियोजनाओं के अनुमोदन न होने के कारण
28.			4402-102-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	1,263.00	1,145.60	91	भारत सरकार द्वारा कम राशि निर्गत होने के कारण
29.			4402-102-03 जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण/जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम	50.00	50.00	100	निविदा प्रक्रिया का अनुपालन न होने के कारण

30.			4415-80-277-32 उत्तर प्रदेश के कृषि अनुसंधान परिषद के कार्यालय भवन का निर्माण	500.00	250.00	50	धनराशि के उपयोग न होने के कारण
31.	12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	2515-800-03 मण्डलीय विकास निगम, लखनऊ के छटनीशुदा कर्मचारियों के वेतन का भुगतान	52.98	52.98	100	वित्तीय स्वीकृति जारी न होने के कारण
32.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	2515-102-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	606.50	606.50	100	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
33.			2515-102-15 ई-डिस्ट्रिक्ट योजना के अन्तर्गत ग्राम विकास अधिकारियों को टैबलेट उपलब्ध कराना	500.00	500.00	100	बची हुई धनराशि के कारण
34.			2515-102-17 वाटर एंटीएम0 की स्थापना	1,500.00	1,500.00	100	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
35.			2702-80-800-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	826.38	724.05	88	छात्रवृत्ति का वितरण न होने के कारण
36.			2515-001-03 विकास आयुक्त (मुख्यालय)	8.80	8.25	94	वास्तविक आवश्यकता के पश्चात् बचत होने के कारण
37.			2515-800-03 ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवाएं	7.50	6.96	93	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
38.			4702-102-10 जलस्रोतों का संवर्धन	1,313.67	788.20	60	धनराशि के निर्गत न होने के कारण
39.			4702-102-11 भू-जल रिचार्जिंग चेक डैम एवं हेडर का निर्माण (नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित)	2,518.54	1,893.29	75	धनराशि के निर्गत न होने के कारण
40.			4702-102-12 ट्यूब-वेल का निर्माण	1,565.19	1,565.19	100	धनराशि के निर्गत न होने के कारण
41.			5054-04-337-02 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएम0जी0एस0वाई0)	1,03,058.00	64,806.33	63	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
42.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	2204-104-02 पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान	3,279.09	3,279.09	100	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
43.			2235-02-200-03 बी0पी0एल0 परिवार की महिलाओं को साड़ी	100.00	100.00	100	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
44.			2235-02-200-04 बी0पी0एल0 परिवार के वृद्ध जन को कम्बल	100.00	100.00	100	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
45.			2515-196-04 चौदहवाँ वित्त आयोग	76,350.60	66,640.40	87	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
46.			2515-197-04 चौदहवाँ वित्त आयोग	38,175.30	33,320.20	87	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
47.			2515-800-12 स्वच्छ एवं हरित मिशन उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत राज्य स्तरीय मिशन का संघटन	200.00	200.00	100	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया

48.			2575-02-192-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	14,787.20	14,787.20	100	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
49.			2575-02-196-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	11,829.76	11,829.76	100	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
50.			2575-02-197-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	5,914.88	5,914.88	100	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
51.			2575-02-198-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	41,404.16	41,404.16	100	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
52.			2575-02-800-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	3,402.00	3,402.00	100	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
53.			4202-03-800-02 पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान	5,042.56	5,042.56	100	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
54.			4515-101-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	4,065.56	4,065.56	100	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
55.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	2403-103-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	700.00	700.00	100	केन्द्रांश की प्राप्ति न होने के कारण
56.			2403-104-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	39.66	39.66	100	वित्तीय स्वीकृति देर से प्राप्त होने के कारण
57.			2403-106-02 राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम	516.00	505.08	98	वित्तीय स्वीकृति के प्राप्त न होने, लघु बचत एवं केन्द्रांश के देर से प्राप्त होने के कारण
58.			2403-107-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	28.00	28.00	100	केन्द्रांश के देर से प्राप्त होने के कारण
59.			2403-107-02 राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम	483.60	275.56	57	वित्तीय स्वीकृति के प्राप्त न होने के कारण
60.			2403-001-03 निदेशालय	13.79	13.57	98	आवश्यकता न होने के कारण
61.			4403-102-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	25.00	25.00	100	वित्तीय स्वीकृति के प्राप्त न होने के कारण
62.			4403-106-02 राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम	10.00	10.00	100	वित्तीय स्वीकृति के प्राप्त न होने के कारण
63.			4403-107-02 राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम	7.40	7.40	100	वित्तीय स्वीकृति के प्राप्त न होने के कारण
64.	17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	2405-800-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	489.82	486.48	99	केन्द्रीय सहायता की राशि आवश्यकता से कम जारी होने के कारण
65.			2405-800-02 मछुआरों के कल्याण की राष्ट्रीय योजना	2,276.87	1,954.98	86	सोलर लाइट यूनिट की लागत में कमी, ऐच्छिक केन्द्रीय सहायता प्राप्त न होने के कारण
66.	22	खेल विभाग	4202-03-800-74 पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुश्ती, कबड्डी, वेटलिफ्टिंग हाल, वालीबाल, बास्केट बाल एवं बाक्सिंग हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं का विकास	200.01	200.01	100	स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण
67.	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	2401-001-03 गन्ना आयुक्त का अधिष्ठान	2.00	2.00	100	दावे की प्राप्ति न होने के कारण

68.	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	2852-08-201-06 सहकारी समितियों को सहायता	44,200.00	25,464.95	58	चीनी मिलों से कमीशन का दावा प्राप्त न होने के कारण
69.			2852-08-201-08 चीनी उद्योग को जनरेशन एवं आसवन प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत छूट/रियायतें	1,000.00	1,000.00	100	रियायत/छूट के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण
70.	34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी)	2210-02-102-06 होम्योपैथिक औषधि निर्माणशाला/परीक्षणशाला	31.50	31.50	100	पदों का सृजन न होने के कारण
71.			4210-01-800-09 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल	1,241.09	714.69	58	वित्तीय स्वीकृति निर्गत न होने के कारण
72.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	4210-02-101-03 उपकेन्द्रों का भवन निर्माण	27.01	21.49	80	महानिदेशक, परिवार कल्याण द्वारा धनराशि निर्गत न किये जाने के कारण
73.			4210-02-101-04 डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना अन्तर्गत ग्रामों में परिवार कल्याण उपकेन्द्रों के भवन निर्माण	46.96	46.96	100	महानिदेशक, परिवार कल्याण द्वारा धनराशि निर्गत न किये जाने के कारण
74.			4210-02-800-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	1,000.00	1,000.00	100	महानिदेशक, परिवार कल्याण द्वारा धनराशि निर्गत न किये जाने के कारण
75.	37	नगर विकास विभाग	2070-800-03 राज्य सफाई कर्मचारी आयोग	43.67	26.21	60	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
76.			2070-800-05 पशु वधशालाओं के संचालन हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति	26.40	21.03	80	आर्थिक मितव्ययिता के कारण
77.			2215-02-106-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	7,500.00	6,399.04	85	भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण
78.			2217-03-191-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	10,000.00	9,138.98	91	भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण
79.			2217-03-193-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	10,000.00	9,875.51	99	भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण
80.			2217-05-191-04 नगरीय टोस अपशिष्ट प्रबन्धन	2,500.00	2,500.00	100	भूमि की अनुपलब्धता के कारण परियोजना का कार्यान्वयन न होना
81.			2217-05-192-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	10,000.00	6,568.08	66	भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण
82.			2217-05-192-04 नगरीय टोस अपशिष्ट प्रबन्धन	5,000.00	4,860.02	97	भूमि की अनुपलब्धता के कारण परियोजना का कार्यान्वयन न होना
83.			2217-05-800-07 नगरीय परिवहन निदेशालय	200.00	193.87	97	पद रिक्त रहने एवं आर्थिक मितव्ययिता के कारण
84.			2217-05-800-10 फिरोजाबाद में सड़क निर्माण के लिए प्रबन्ध	2,400.00	1,200.00	50	प्रस्ताव के अपरिपक्व होने के कारण

85.			2217-80-800-03 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉड पर क्रियान्वित परियोजनाओं के अन्तर्गत परामर्शी सेवाएं	200.00	200.00	100	साधारण बचत के कारण
86.			2217-80-800-04 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (केन्द्र-100 प्रतिशत)	100.00	59.07	59	पद रिक्त रहने एवं आर्थिक मितव्ययिता के कारण
87.			2217-80-800-05 प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट (केन्द्र-100 प्रतिशत)	100.00	68.30	68	पद रिक्त रहने एवं आर्थिक मितव्ययिता के कारण
88.			2217-80-800-06 आई0आर0एम0ए0 (इरमा) (केन्द्र-100 प्रतिशत)	20.00	20.00	100	आर्थिक मितव्ययिता के कारण
89.			2217-80-800-11 हरित उत्तर प्रदेश-स्वच्छ उत्तर प्रदेश मिशन	2,000.00	1,370.00	69	प्रस्ताव के अपरिपक्व होने के कारण
90.			4215-02-800-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	5,000.00	4,029.86	81	भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण
91.	38	नागरिक उड्डयन विभाग	5053-80-800-04 हेलीकॉप्टर/वायुयान का विशेष रख-रखाव	200.00	141.82	71	आवश्यकतानुसार मरम्मत के कारण
92.	39	भाषा विभाग	2202-05-102-09 भोजपुरी अकादमी की स्थापना	20.00	11.00	55	भोजपुरी अकादमी के संचालित न होने एवं पद का सृजन न होने के कारण
93.	41	निर्वाचन विभाग	2015-105-04 उप- चुनाव	391.00	285.86	73	संसद के उपचुनाव न होने के कारण
94.	42	न्याय विभाग	2014-102-06 माननीय उच्च न्यायालय के पत्रावलियों का डिजिटाइजेशन	6,500.00	4,709.50	72	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
95.			2014-105-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	471.19	374.09	79	पद रिक्त रहने एवं आर्थिक मितव्ययिता एवं टोकन प्रावधान के कारण
96.			2014-105-09 पारिवारिक न्यायालय	4,679.38	2,790.82	60	पद रिक्त रहने एवं आर्थिक मितव्ययिता एवं टोकन प्रावधान के कारण
97.			2014-105-10 तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन	540.00	321.28	59	वास्तविक आवश्यकता के आधार पर
98.			2014-105-11 ग्राम न्यायालय	118.40	116.40	98	पद रिक्त रहने के कारण एवं आर्थिक मितव्ययिता के आधार पर
99.			2014-105-14 चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन	4,243.25	4,243.25	100	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
100.			2014-800-14 चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन	619.95	619.95	100	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
101.			2235-60-200-06 अधिवक्ता कल्याण निधि से सम्बन्धित कल्याणकारी स्टाम्पों की बिक्री की शुद्ध प्राप्ति का अधिवक्ता कल्याण निधि हेतु न्यासी समिति को अन्तरण	600.00	598.70	100	वास्तविक आवश्यकता के आधार पर

102.			2235-60-200-10 तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन	50.00	50.00	100	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
103.			2235-60-200-14 चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन	106.80	106.80	100	पदों का सृजन न होने के कारण
104.			2014-800-06 विभागीय आवासीय भवनों के रख-रखाव के लिए प्रावधान	15.00	15.00	100	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
105.			4059-60-051-10 तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन	450.00	352.29	78	वास्तविक आवश्यकता के आधार पर
106.			4059-60-051-14 चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन	30.00	30.00	100	वास्तविक आवश्यकता के आधार पर
107.			4216-01-700-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	10,000.00	5,363.69	54	वास्तविक आवश्यकता के आधार पर
108.	43	परिवहन विभाग	3055-800-05 सड़क सुरक्षा निधि उत्तर प्रदेश से व्यय	1,153.89	656.46	57	पदों की स्वीकृति के अनुपलब्धता एवं आहरण न होने के कारण
109.			5055-800-05 सड़क सुरक्षा निधि उत्तर प्रदेश से व्यय	1,740.66	1,151.33	66	भूमि की अनुपलब्धता तथा क्रय प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण
110.	44	पर्यटन विभाग	3452-80-800-07 “डिस्कवर योर रूट्स” योजना	7.00	7.00	100	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
111.			5452-80-104-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	4,000.00	2,074.26	52	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
112.	45	पर्यावरण विभाग	3435-03-003-04 पर्यावरणीय शोध एवं क्रियान्वयन कार्यक्रम	20.00	10.49	52	वास्तविक आवश्यकता के आधार पर व्यय
113.			3435-04-001-05 पर्यावरण निदेशालय में प्रयोगशाला की स्थापना	5.80	5.80	100	स्वीकृति पदों पर भर्ती न होने के कारण
114.	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	2203-103-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	341.01	313.69	92	भारत सरकार से अवशेष धनराशि की स्वीकृति तथा टोकन धनराशि प्राप्त न होने के कारण
115.			2203-104-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	136.02	136.02	100	भारत सरकार से अवशेष धनराशि की स्वीकृति तथा टोकन धनराशि प्राप्त न होने के कारण
116.			2203-104-05 हण्डिया व्यावसायिक संस्थान, हण्डिया	11.92	10.67	90	वास्तविक आवश्यकता के आधार पर व्यय
117.			2203-104-06 चन्दौली बहुधन्धी संस्थान, चन्दौली	11.65	5.83	50	वास्तविक आवश्यकता के आधार पर व्यय
118.			2203-105-19 आई0टी0 पॉलीटेक्निक	97.16	68.45	70	ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदन प्राप्त न होने तथा आवश्यकता न होने के कारण

119.			2203-112-21 इन्जीनियरिंग कॉलेज की स्थापना	800.01	600.01	75	वास्तविक आवश्यकता के आधार पर व्यय
120.			2203-112-97 विश्व बैंक सहायतित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम	2,305.03	1,176.53	51	वास्तविक आवश्यकता के आधार पर व्यय
121.			2203-800-04 कौशल संस्थान की स्थापना	5.00	5.00	100	धनराशि का उपयोग न किये जाने के कारण
122.			4202-02-104-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	2,906.02	2,237.40	77	भारत सरकार से अवशेष धनराशि की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण
123.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2070-001-06 रजिस्ट्रार/निरीक्षक अरबी फारसी मदरसा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद	79.57	49.85	63	रिक्त पदों एवं वास्तविक व्यय के कारण
124.			2070-800-03 उत्तर प्रदेश न्यायिक वक्फ बोर्ड	413.20	290.56	70	रिक्त पदों एवं वास्तविक व्यय के कारण
125.			2225-80-800-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	64,311.32	62,891.41	98	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
126.			4202-01-800-05 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में बहुउद्देशीय शैक्षणिक हब की स्थापना	7,000.00	4,822.19	69	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
127.			4235-02-800-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	69,939.86	55,208.52	79	भारत सरकार द्वारा राशि निर्गत न होने के कारण
128.	51	राजस्व विभाग (द्वैतीय आपदा के सम्बन्ध में राहत)	2235-02-200-03 अन्य राज्य सरकारों को द्वैतीय आपदा के समय सहायता	10.00	10.00	100	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
129.			2245-80-800-06 उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण	250.00	200.00	80	राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण का संचालन न होने के कारण
130.			2245-80-800-07 जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण	300.00	242.88	81	राज्य/जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण का संचालन न होने के कारण
131.							
132.			4070-800-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	250.00	250.00	100	भारत सरकार द्वारा राशि निर्गत न होने के कारण
133.			4250-101-05 स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय	250.00	250.00	100	राज्य/जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण का संचालन न होने के कारण
134.			4250-101-06 डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय	250.00	250.00	100	राज्य/जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण का संचालन न होने के कारण
135.			4250-101-07 उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण	500.00	500.00	100	राज्य/जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण का संचालन न होने के कारण
136.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	4070-800-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	790.42	589.87	75	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
137.	53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	2070-800-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	60.00	31.50	53	आयुक्त द्वारा धनराशि उपयोग न किये जाने के कारण

138.			2070-800-03 मौलाना आजाद मेमोरियल एकेडमी को अनुदान	15.00	7.50	50	भारत सरकार द्वारा धनराशि निर्गत न किये जाने के कारण
139.			2070-800-08 महान विभूतियों के जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव कार्यक्रमों का आयोजन	26.25	15.62	60	जनपदों द्वारा धनराशि का उपयोग न किये जाने के कारण
140.			2070-800-09 जिला एकीकरण समितियों पर व्यय	15.00	8.49	57	जनपदों द्वारा धनराशि का उपयोग न किये जाने के कारण
141.			2070-800-13 अन्तर्धार्मिक विवाह हेतु प्रोत्साहन (नकद पुरस्कार) (राज्यांश 100 प्रतिशत)	10.00	5.00	50	आयुक्त द्वारा धनराशि उपयोग न किये जाने के कारण
142.	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	4059-60-051-03 अनावासीय भवनों का उन्नयन सुदृढीकरण के नये कार्य	50.00	26.84	54	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
143.			4059-80-800-10 राज्य के निरीक्षण भवन एवं सर्किट हाउस में जेनेरेटर की स्थापना	38.00	31.32	82	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
144.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन—सड़कें)	3054-80-800-04 न्यायालय की आड़पतियों का भुगतान	5.00	5.00	100	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
145.			5054-04-337-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	25,000.00	16,027.00	64	अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया
146.	60	वन विभाग	4406-01-102-16 राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (सी0सी0एल0 प्रणाली)	1,211.13	934.11	77	भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता निर्गत न किये जाने के कारण
147.			4406-02-110-07 दुधवा राष्ट्रीय पार्क के वन विश्रामालय और आन्तरिक सड़क का सुदृढीकरण	50.00	45.65	91	वास्तविक व्यय के पश्चात बचत के कारण
148.			4406-02-111-07 कानपुर प्राणी उद्यान का आधुनिकीकरण तथा बाल रेल की स्थापना (सी0सी0एल0 प्रणाली)	10.70	10.70	100	स्वीकृति निर्गत न होने के कारण
149.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	2052-090-03 वित्त विभाग	666.80	500.94	75	आवश्यकता न होने के कारण
150.			2235-60-200-03 मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को सहायता	100.00	70.92	71	विभिन्न प्रशासनिक विभाग से परिपक्व प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण
151.			4070-800-03 परियोजनाओं के डी0पी0आर0 का व्यय	500.00	500.00	100	आवश्यकता न होने के कारण
152.			6075-800-03 सार्वजनिक उपक्रमों / निगमों / स्वायत्तशासी संस्थाओं के वित्तीय पुनर्गठन के लिए ऋण सहायता	5,000.00	4,990.00	100	परिपक्व प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण

153.			7610-204-03 राज्य कर्मचारियों को व्यक्तिगत कम्प्यूटर की खरीद के लिए अग्रिम	80.00	63.15	79	विभिन्न कार्यालयाध्यक्षों / सचिवालय से मांग पत्र प्राप्त न होने के कारण
154.			7610-201-03 अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भवन क्रय, निर्माण / मरम्मत या विस्तार के लिए अग्रिम	60.00	49.90	83	प्रशासनिक विभाग से मांग पत्र प्राप्त न होने के कारण
155.	63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	4059-01-051-03 प्रदेश के विभिन्न कोषागारों / उपकोषागारों में विभिन्न निर्माण / नवीनीकरण कार्य	200.00	118.86	59	आर्थिक मितव्ययिता के कारण
156.	68	विधान सभा सचिवालय	2011-02-101-03 विधान सभा	124.89	71.09	57	आर्थिक मितव्ययिता, आवश्यकता न होना तथा माननीय सभापति का पद खाली रहने के कारण
157.	69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	2230-03-003-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	2,015.60	2,000.00	99	वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय तथा मांग न होने के कारण
158.			2230-03-003-17 कौशल विकास मिशन के संचालन हेतु प्रशिक्षण व्यय की व्यवस्था	6,500.00	4,155.55	64	वास्तविक व्यय के आधार पर
159.			2230-03-101-04 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नये व्यवसायिक प्रशिक्षण	107.86	79.68	74	वास्तविक व्यय के आधार पर तथा मांग न होने के कारण
160.			2230-03-800-04 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में ई-कनेक्टिविटी	100.00	89.66	90	वास्तविक व्यय के आधार पर
161.			4250-203-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	378.70	328.70	87	मांग न होने के कारण
162.			4250-203-16 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	2,500.00	2,030.80	81	मांग शून्य होने के कारण
163.	70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	3425-60-200-04 विज्ञान केन्द्रों की स्थापना	600.00	600.00	100	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बोर्ड उत्तर प्रदेश के लिए भूमि उपलब्ध न होने के कारण
164.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	2202-01-053-04 प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों के भवनों के रख रखाव हेतु एकमुश्त प्रावधान	500.00	500.00	100	कारण सूचित नहीं किया गया
165.			2202-01-102-23 शिक्षा मित्रों को मानदेय का भुगतान (जिला योजना)	2,200.00	1,341.65	61	कारण सूचित नहीं किया गया
166.			2202-01-105-11 भारत साक्षरता मिशन-2012	257.69	181.55	70	कारण सूचित नहीं किया गया
167.			2202-01-800-03 गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की सामूहिक बीमा योजना के राज्य सरकार का अंशदान	72.49	36.37	50	कारण सूचित नहीं किया गया
168.			2202-01-800-08 चौदहवें वित्त आयोग हेतु अनुदान	1,40,000.00	1,40,000.00	100	कारण सूचित नहीं किया गया

169.			4202-01-201-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	34,224.00	34,224.00	100	कारण सूचित नहीं किया गया
170.			4202-01-201-03 जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय भवनों का निर्माण (जिला योजना)	259.00	129.54	50	कारण सूचित नहीं किया गया
171.			4202-201-05 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास	20,000.00	20,000.00	100	कारण सूचित नहीं किया गया
172.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	2202-02-107-11 ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यमिक स्तर के प्रतिभाशाली छात्रों को राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां (कक्षा 9-10)	8.00	7.39	92	कारण सूचित नहीं किया गया
173.			2202-02-107-13 हाईस्कूल और इण्टर छात्रवृत्तियों की दरों में वृद्धि	42.50	41.95	99	कारण सूचित नहीं किया गया
174.			2202-02-109-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	34,670.00	22,875.54	66	कारण सूचित नहीं किया गया
175.			2202-02-110-05 सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का शैक्षिक भ्रमण	5.00	5.00	100	कारण सूचित नहीं किया गया
176.			2202-02-110-08 अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विषय विशेषकों को मानदेय के भुगतान हेतु व्यवस्था	50.00	25.74	51	कारण सूचित नहीं किया गया
177.			2202-02-800-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	1,588.41	1,588.41	100	कारण सूचित नहीं किया गया
178.			2202-02-800-04 पुस्तकालयों को अनुदान	10.00	10.00	100	कारण सूचित नहीं किया गया
179.			2202-02-800-05 भारत स्काउट्स और गाइड्स को अनुदान	25.00	12.50	50	कारण सूचित नहीं किया गया
180.			2202-05-103-05 राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों/ महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के वेतन हेतु अनुदान	1,278.47	654.30	51	कारण सूचित नहीं किया गया
181.			2202-02-800-03 गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में सामूहिक बीमा योजना हेतु राज्य सरकार का अंशदान	23.80	23.80	100	कारण सूचित नहीं किया गया
182.			2202-02-800-15 राज्यमुक्त विद्यालय परिषद	20.00	20.00	100	कारण सूचित नहीं किया गया
183.			4202-01-202-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	55,000.00	55,000.00	100	कारण सूचित नहीं किया गया

184.			4202-01-202-03 राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अधूरे निर्माण कार्य (नाबार्ड पोषित)	5,000.00	5,000.00	100	कारण सूचित नहीं किया गया
185.	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	2202-80-003-17 गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को पेंशन/ग्रेज्युटी के लिए सहायक अनुदान	18.00	9.00	50	वास्तविक व्यय के पश्चात बचत के कारण
186.			4202-01-201-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	1,673.58	1,473.58	88	भारत सरकार से धनराशि प्राप्त न होने के कारण
187.	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	4210-01-102-04 चिकित्सालय	20.00	13.83	69	विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति को रद्द करने के कारण
188.	77	श्रम विभाग (सेवा योजना)	2230-02-001-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	45.00	26.75	59	भारत सरकार द्वारा धनराशि निर्गत न होने के कारण
189.	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	2235-02-101-32 कुष्ठावस्था विकलांग भरण-पोषण अनुदान	1,500.00	1,223.10	82	लाभार्थियों को केवल अंतिम तिमाही पर भुगतान के कारण
190.			2235-02-107-03 विभिन्न श्रेणी के विकलांगों के कल्याण हेतु स्वैच्छिक संगठनों एवं संस्थाओं को सहायता	30.00	21.19	71	कारण सूचित नहीं किया गया
191.			4235-02-101-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	2,500.00	2,479.63	99	प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण
192.			4235-02-101-11 स्पर्श राजकीय दृष्टि बाधित बालिका इण्टर कालेज की स्थापना	400.01	200.01	50	कारण सूचित नहीं किया गया
193.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	2225-02-796-11 अनुसूचित जनजातियों के कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्तक सहायता	300.03	199.49	66	आवश्यकता के आधार पर व्यय के पश्चात बचत के कारण
194.			2230-03-796-03 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना	75.00	75.00	100	कारण सूचित नहीं किया गया
195.			2401-796-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	149.66	82.11	55	भारत सरकार से अपेक्षित धनराशि प्राप्त न होने के कारण
196.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	2202-80-789-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	3,606.73	2,041.65	57	भारत सरकार द्वारा धनराशि प्राप्त न होने से वित्तीय स्वीकृति निर्गत न होने के कारण
197.			2204-789-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	880.22	880.22	100	कारण सूचित नहीं किया गया
198.			2230-03-789-05 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अल्पकालीन व्यावसायिक प्रशिक्षण	112.93	112.93	100	मांग न होने के कारण
199.			2235-02-789-09 बी०पी०एल० परिवार की महिला हेतु साडी	100.00	100.00	100	कारण सूचित नहीं किया गया

200.			2235-02-789-10 बी०पी०एल० परिवार की वृद्धजन को कम्बल	100.00	100.00	100	कारण सूचित नहीं किया गया
201.			2401-789-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	14,348.27	9,225.47	64	भारत सरकार द्वारा धनराशि निर्गत न किये जाने के कारण
202.			2401-789-02 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (केन्द्र 100/राज्य 0-केन्द्र)	5,000.00	5,000.00	100	भारत सरकार द्वारा धनराशि निर्गत न किये जाने के कारण
203.			2402-789-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	1,775.20	980.43	55	भारत सरकार द्वारा धनराशि निर्गत न किये जाने के कारण
204.			2403-789-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	632.00	400.38	63	पर्याप्त केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण
205.			2515-789-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	93,775.38	65,257.59	70	कारण सूचित नहीं किया गया
206.			2515-789-08 समाजवादी शुद्ध पेयजल योजना के अन्तर्गत वाटर ए०टी०एम०	500.00	500.00	100	कारण सूचित नहीं किया गया
207.			2810-01-789-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	59.00	59.00	100	कारण सूचित नहीं किया गया
208.			2852-80-789-04 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	63.63	63.63	100	आगरा से लखनऊ कन्ट्रोल्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना के कारण धनराशि का आहरण न होने के कारण
209.			4202-02-789-08 जनपद मैनपुरी में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना	250.00	250.00	100	वास्तविक व्यय के आधार पर
210.			4210-03-789-03 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना	1,249.27	624.63	50	वित्तीय स्वीकृति जारी न होने के कारण
211.			4406-01-789-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	4.41	4.41	100	आवश्यकता न होने तथा भारत सरकार द्वारा धनराशि निर्गत न होने के कारण
212.			4406-01-789-04 राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (सी०सी०एल० प्रणाली)	388.86	318.48	82	स्वीकृति जारी न होने के कारण/भारत सरकार द्वारा धनराशि निर्गत न होने के कारण
213.			4515-789-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	1,094.44	1,094.44	100	कारण सूचित नहीं किया गया
214.			4711-01-789-04 सीमांत बांध	231.26	180.83	78	धनराशि का उपयोग न किये जाने के कारण
215.			4711-03-789-03 जल निकास की योजनायें	133.60	133.60	100	धनराशि का उपयोग न किये जाने के कारण
216.			4801-06-789-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	30,000.00	30,000.00	100	आर०ई०सी० नई दिल्ली द्वारा बिजली वितरण निगम को धनराशि निर्गत न करने के कारण
217.	86	सूचना विभाग	2220-60-103-04 टेलीप्रिन्टर योजना	17.65	16.29	92	रिक्त पदों पर नियुक्ति न होने, चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति के प्रकरणों पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की संस्तुति प्राप्त न होने के कारण

218.			4059-01-051-03 सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के मुख्यालय भवन का निर्माण	2,400.00	2,400.00	100	सूचना मुख्यालय भवन निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध न होने के कारण
219.	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्यिक कर)	4059-01-051-06 जनपद कन्नौज में वाणिज्यिक कर कार्यालय भवन का निर्माण	266.99	139.79	52	स्वीकृति निर्गत न होने के कारण
220.			4059-60-051-03 जनपद गाजियाबाद, सहायता केन्द्र मोहन नगर परिसर में विभागीय ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण	2,500.00	2,300.00	92	स्वीकृति निर्गत न होने के कारण
221.	91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	2030-01-001-03 अधिष्ठान	40.24	29.18	73	मांग न होने एवं वास्तविक मांग के आधार पर
222.			2030-02-800-04 वाटर पार्क पेपर के बिक्री पर व्यय	20.00	18.99	95	स्टाम्प की कम बिक्री के कारण
223.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	2700-80-800-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	2,868.20	2,868.20	100	कारण सूचित नहीं किया गया
224.			2700-80-800-05 तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन	43,833.92	43,833.92	100	कारण सूचित नहीं किया गया
225.			2701-80-800-12 तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन	21,004.58	21,004.58	100	कारण सूचित नहीं किया गया
226.			2702-80-800-05 तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन	3,361.50	3,361.50	100	कारण सूचित नहीं किया गया
227.	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	2701-02-001-04 कार्यकारी अधिष्ठान	50.00	29.13	58	मांग न होने के कारण
योग				10,07,636.65	9,24,581.98		
				अथवा 10,076.37	अथवा 9,245.82		
				करोड़	करोड़		

परिशिष्ट 2.7	वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण (₹ 50 लाख या अधिक) <i>(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.3.9 पृष्ठ 58)</i>
-------------------------	---

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान/विभाग का नाम	कुल अनुदान	बचत	अभ्यर्पित धनराशि	अधिक अभ्यर्पित धनराशि
राजस्व – दत्तमत						
1.	01	आबकारी विभाग	156.70	8.54	9.27	0.73
2.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	869.23	150.60	151.20	0.60
3.	42	न्याय विभाग	1,534.00	329.13	445.12	115.99
4.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	8,034.13	918.15	921.38	3.23
5.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	226.20	9.52	15.95	6.43
6.	91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	259.55	11.19	19.24	8.05
निवल योग			11,079.81	1,427.13	1,562.16	135.03
पूंजीगत – दत्तमत						
7.	06	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	34.92	3.47	5.31	1.84
8.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	902.29	533.67	534.51	0.84
9.	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	80.00	00	0.60	0.60
10.	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	195.56	23.09	24.82	1.73
11.	60	वन विभाग	365.51	40.77	41.35	0.58
निवल योग			1,578.28	601.00	606.59	5.59
पूंजीगत – भारित						
12.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	21,335.20	3,711.90	3,769.43	57.53
निवल योग			21,335.20	3,711.90	3,769.43	57.53
महायोग			33,993.29	5,740.03	5,938.18	198.15

परिशिष्ट 2.8	अनुदानों/विनियोगों का विवरण, जिनमें बचत हुई परन्तु उसका कोई भाग अभ्यर्पित नहीं किया गया (सन्दर्भ: प्रस्तर 2.3.10 पृष्ठ 59)
-------------------------	--

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत	
			राजस्व	पूँजीगत
I – अनुदान				
1.	03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	-	1.84
2.	16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	11.23	7.18
3.	19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	2.12	-
4.	20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	6.75	-
5.	22	खेल विभाग	2.21	-
6.	25	गृह विभाग (कारागार)	51.46	2.50
7.	26	गृह विभाग (पुलिस)	1,346.41	282.44
8.	27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	6.59	1.82
9.	28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	33.33	0.30
10.	30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	0.37	-
11.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	20.43	29.39
12.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	938.53	104.48
13.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	148.01	3.86
14.	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	244.50	5.94
15.	40	नियोजन विभाग	84.61	632.70
16.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	1,058.88	75.97
17.	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	-	16.56
18.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	456.79	-
19.	56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	-	7.46
20.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	4,666.51	13.21
21.	65	वित्त विभाग (लेखापरीक्षा, अल्प बचत आदि)	42.34	0.02
22.	67	विधान परिषद सचिवालय	6.72	0.04
23.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	278.80	314.84
24.	74	गृह विभाग (होमगार्ड्स)	5.54	8.88
25.	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	71.10	15.08
26.	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	667.45	-

27.	82	सतर्कता विभाग	2.10	-
28.	84	सामान्य प्रशासन विभाग	1.11	4.00
29.	85	सार्वजनिक उद्यम विभाग	0.63	-
30.	87	सैनिक कल्याण विभाग	7.07	-
31.	88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	1.46	0.14
32.	92	संस्कृति विभाग	22.43	31.16
33.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	-	69.70
योग			10,185.48	1,629.51
II – विनियोग				
34.	20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	3.19	-
35.	25	गृह विभाग (कारागार)	0.05	-
36.	26	गृह विभाग (पुलिस)	0.09	-
37.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	0.20	-
38.	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	0.02	-
39.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	0.10	-
40.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	-	0.06
41.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	0.02	-
42.	60	वन विभाग	0.03	-
43.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	796.83	-
44.	67	विधान परिषद सचिवालय	0.26	-
45.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	0.03	-
46.	82	सतर्कता विभाग	0.74	-
47.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	-	15.00
योग			801.56	15.06
महायोग			10,987.04	1,644.57
राजस्व और पूंजीगत का योग			12,631.61	

परिशिष्ट 2.9	अभ्यर्पित न की गयी ₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक की बचतों का विवरण (सन्दर्भ: प्रस्तर 2.3.10; पृष्ठ 59)
-------------------------	---

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत	अभ्यर्पण	बचतें, जिन्हें अभ्यर्पित नहीं किया गया
राजस्व – दत्तमत					
1.	03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	32.38	29.30	3.08
2.	06	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	116.50	113.89	2.61
3.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)	87.76	71.47	16.29
4.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	438.74	418.64	20.10
5.	12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	178.09	162.43	15.66
6.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	208.61	185.96	22.65
7.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	3,117.69	3,112.12	5.57
8.	16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	11.23	00	11.23
9.	19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	2.12	00	2.12
10.	20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	6.75	00	6.75
11.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	60.64	8.75	51.89
12.	22	खेल विभाग	2.21	00	2.21
13.	25	गृह विभाग (कारागार)	51.46	00	51.46
14.	26	गृह विभाग (पुलिस)	1,346.41	00	1,346.41
15.	27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	6.59	00	6.59
16.	28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	33.33	00	33.33
17.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	20.43	00	20.43
18.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	938.53	00	938.53
19.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	148.01	00	148.01
20.	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	244.50	00	244.50
21.	37	नगर विकास विभाग	1,390.72	750.25	640.47
22.	40	नियोजन विभाग	84.61	00	84.61
23.	43	परिवहन विभाग	13.87	9.98	3.89
24.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	852.81	829.93	22.88
25.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	1,058.88	00	1,058.88
26.	51	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के सम्बन्ध में राहत)	1,318.61	472.44	846.17
27.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	456.79	00	456.79
28.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	1,384.03	247.24	1,136.79
29.	60	वन विभाग	100.09	0.79	99.30

30.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	48.77	40.06	8.71
31.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	4,666.51	00	4,666.51
32.	65	वित्त विभाग (लेखापरीक्षा, अल्प बचत आदि)	42.34	00	42.34
33.	67	विधान परिषद सचिवालय	6.72	00	6.72
34.	70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	12.21	8.17	4.04
35.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	3,229.85	3,209.47	20.38
36.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	278.80	00	278.80
37.	74	गृह विभाग (होमगार्ड्स)	5.54	00	5.54
38.	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	71.10	00	71.10
39.	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	27.41	21.08	6.33
40.	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	667.45	00	667.45
41.	82	सतर्कता विभाग	2.10	00	2.10
42.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	2306.79	899.24	1407.55
43.	84	सामान्य प्रशासन विभाग	1.11	00	1.11
44.	86	सूचना विभाग	142.43	8.10	134.33
45.	87	सैनिक कल्याण विभाग	7.07	00	7.07
46.	88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	1.46	00	1.46
47.	92	संस्कृति विभाग	22.43	00	22.43
48.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	766.34	710.68	55.66
49.	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	933.97	875.32	58.65
योग			26,952.79	12,185.31	14,767.48
पूंजीगत – दत्तमत					
50.	03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	1.84	00	1.84
51.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	1,669.11	1,217.27	451.84
52.	16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	7.18	00	7.18
53.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	11.71	5.33	6.38
54.	25	गृह विभाग (कारागार)	2.50	00	2.50
55.	26	गृह विभाग (पुलिस)	282.44	00	282.44
56.	27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	1.82	00	1.82
57.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	29.39	00	29.39
58.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	104.48	00	104.48
59.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	3.86	00	3.86
60.	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	5.94	00	5.94
61.	37	नगर विकास विभाग	174.96	41.97	132.99
62.	40	नियोजन विभाग	632.70	00	632.70

63.	42	न्याय विभाग	241.77	238.61	3.16
64.	43	परिवहन विभाग	15.29	14.23	1.06
65.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	635.43	633.85	1.58
66.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	75.97	00	75.97
67.	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	16.56	00	16.56
68.	56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	7.46	00	7.46
69.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	13.21	00	13.21
70.	70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	2.00	0.45	1.55
71.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	616.56	614.45	2.11
72.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	314.84	00	314.84
73.	74	गृह विभाग (होमगार्ड्स)	8.88	00	8.88
74.	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	15.08	00	15.08
75.	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	48.90	36.80	12.10
76.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	21.39	6.70	14.69
77.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	1,357.71	613.56	744.15
78.	84	सामान्य प्रशासन विभाग	4.00	00	4.00
79.	92	संस्कृति विभाग	31.16	00	31.16
80.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	69.70	00	69.70
योग			6,423.84	3,423.22	3,000.62
राजस्व – भारित					
81.	20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	3.19	00	3.19
82.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	796.83	00	796.83
योग			800.02	00	800.02
पूँजीगत – भारित					
83.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	15.00	00	15.00
योग			15.00	00	15.00
महायोग			34,191.65	15,608.53	18,583.12

परिशिष्ट	व्यय का अतिरेक
2.10	(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.14; पृष्ठ 60)

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	व्यय की प्रकृति	कुल बजट	मार्च में कुल व्यय (सकल)	प्रतिशतता
राजस्व				
2801	ऊर्जा	22,895.18	13,845.35	60.47
2202	सामान्य शिक्षा	49,450.19	10,493.53	21.22
2048	ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन	7,568.25	6,966.78	92.05
2245	प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत	6,592.18	3,491.44	52.96
3604	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	10,181.34	3,089.71	30.35
2049	ब्याज भुगतान	21,645.80	3,016.82	13.94
2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण	6,370.23	2,307.04	36.22
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	13,427.40	1,751.66	13.05
2055	पुलिस	12,083.81	1,605.53	13.29
2211	परिवार कल्याण	5,878.85	1,447.09	24.62
2217	नगर विकास	3,919.80	1,400.88	35.74
3054	सड़क तथा सेतु	4,123.45	1,251.52	30.35
2210	चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य	8,063.29	1,060.19	13.15
2401	फसल कृषि-कर्म	2,814.95	638.41	22.68
3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें	603.22	331.33	54.93
2215	जलापूर्ति एवं सफाई	1,268.62	305.81	24.11
2702	लघु सिंचाई	1,275.98	298.91	23.43
2851	ग्राम एवं लघु उद्योग	688.38	249.57	36.25
2014	न्याय प्रशासन	1,839.99	215.56	11.72
2402	मृदा एवं जल संरक्षण	728.37	153.41	21.06
2403	पशुपालन	909.19	139.04	15.29
2070	अन्य प्रशासनिक सेवायें	1,137.04	127.69	11.23
2425	सहकारिता	493.10	117.47	23.82
2053	जिला प्रशासन	783.02	104.69	13.37
2056	कारागार	679.76	101.63	14.95
2501	ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	386.16	99.82	25.85
2040	बिक्री एवं व्यापार इत्यादि पर कर	568.90	83.18	14.62
2705	कमांड क्षेत्र विकास	310.54	73.22	23.58
2406	वानिकी एवं वन्य जीवन	639.11	72.89	11.40
3454	जनगणना, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	126.49	67.10	53.05

2015	चुनाव	168.59	65.12	38.63
2030	स्टाम्प और पंजीकरण	257.05	64.82	25.22
2203	तकनीकी शिक्षा	316.00	61.43	19.44
2810	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	312.24	50.75	16.25
2220	सूचना एवं प्रचार	332.09	39.32	11.84
2204	खेलकूद तथा युवा सेवायें	205.83	28.24	13.72
3055	सड़क परिवहन	185.29	26.67	14.39
2216	आवास	82.67	25.34	30.65
2404	दुग्धशाला विकास	101.01	23.51	23.27
2415	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	173.97	18.52	10.65
2039	राज्य आबकारी	156.55	16.76	10.71
2205	कला तथा संस्कृति	80.12	15.62	19.50
2711	बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास	99.00	14.50	14.65
2045	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	88.47	13.90	15.71
3452	पर्यटन	46.96	8.58	18.27
2075	विविध सामान्य सेवायें	39.89	7.57	18.98
2407	बागान	5.91	5.26	89.00
2885	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य व्यय	21.58	4.09	18.95
3435	पारिस्थितिकी विज्ञान तथा पर्यावरण	10.76	1.18	10.97
2041	वाहन कर	0.80	0.13	16.25
योग		2,46,696.68	58,354.12	23.65
पूँजीगत				
4801	विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	21,411.04	8,572.88	40.04
5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	17,655.53	4,299.71	24.35
4700	वृहद सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	3,639.26	1,356.37	37.27
4210	चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	2,491.88	920.39	36.94
4425	सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय	1,277.60	813.60	63.68
4215	जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय	2,754.36	566.81	20.58
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1,104.36	531.69	48.14
4217	नगर विकास पर पूँजीगत परिव्यय	1,142.50	527.30	46.15
4202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	2,981.20	486.97	16.33
4702	लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	712.21	469.20	65.88
4059	लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय	1,550.30	383.49	24.74
4055	पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	1,296.77	375.78	28.98
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	1,348.91	369.55	27.40
4701	मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	900.60	359.00	39.86
4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	817.70	336.56	41.16
4575	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	1,194.38	225.85	18.91

4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	575.13	134.41	23.37
5055	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	163.41	131.71	80.60
4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	317.87	110.62	34.80
4401	फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	790.91	81.33	10.28
5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	225.55	75.61	33.52
4810	ऊर्जा के गैर पारम्परिक स्रोतों पर पूंजीगत परिव्यय	166.38	66.58	40.02
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	158.97	57.18	35.97
4406	वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय	378.95	55.32	14.60
4415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	98.90	43.11	43.59
4403	पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय	67.67	19.11	28.24
4859	दूरसंचार और इलेक्ट्रानिक उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	21.51	10.87	50.53
4853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	7.09	2.89	40.76
योग		84,841.06	22,628.94	26.67

परिशिष्ट 3.1	विभागीय वाणिज्यिक एवं अर्द्ध वाणिज्यिक उपक्रमों के लेखाओं का अंतिमीकरण और निवेशों का विवरण (संदर्भ: प्रस्तर 3.3; पृष्ठ 74)
-------------------------	--

क्र० सं०	उपक्रम का नाम	लेखाओं के अंतिमीकरण का वर्ष	विगत अन्तिम लेखे के अनुसार निवेश (₹ करोड़ में)
सिंचाई विभाग			
1	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, कानपुर	2015-16	0.48
2	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, झाँसी	2015-16	0.44
3	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, बरेली	2015-16	2.62
4	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, मेरठ	2015-16	0.48
5	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, गोरखपुर	2015-16	1.68
6	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, इलाहाबाद	2015-16	0.48
खाद्य एवं रसद विभाग			
7	खाद्यान्न की सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना	2011-12	2,617.93
पशुपालन विभाग			
8	राजकीय पशुधन सह कृषि फार्म	2010-11	24.85
स्वास्थ्य विभाग			
9	स्टेट फार्मसी आफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी मेडिसिन	1990-91	उपलब्ध नहीं
योग			2,648.96

परिशिष्ट 3.2	विभागवार/अवधिवार लम्बित प्रकरणों का विवरण (जिनमें अंतिम कार्यवाही मार्च 2016 तक लम्बित थी) <i>(संदर्भ: प्रस्तर 3.4; पृष्ठ 75)</i>
-------------------------	---

(कोष्ठक में आँकड़े ₹ लाख में प्रदर्शित हैं।)

क्र० सं०	विभाग का नाम	5 वर्ष तक	5 से 10 वर्ष तक	10 से 15 वर्ष तक	15 से 20 वर्ष तक	20 से 25 वर्ष तक	25 वर्ष से अधिक	प्रकरणों का योग
1	कृषि विभाग	-	-	2 (7.44)	1 (0.18)	-	-	3 (7.62)
2	पशुपालन विभाग	-	-	-	4 (3.99)	6 (0.72)	6 (1.84)	16 (6.55)
3	सहकारिता विभाग	-	-	-	1(1.28)	1(1.07)	-	2(1.45)
4	शिक्षा विभाग	1 (1.60)	4(111.34)	-	1 (5.00)	-	-	6 (117.94)
5	मत्स्य विभाग	1 (1.01)	-	-	-	2 (1.60)	-	3 (2.61)
6	खाद्य एवं रसद विभाग	-	-	1 (3.06)	-	-	8 (25.72)	9 (28.78)
7	सिंचाई विभाग	3 (53.12)	4 (57.89)	10 (0.52)	7 (3.67)	17(5.83)	-	41 (121.03)
8	न्याय विभाग	-	1 (4.44)	-	-	-	-	1 (4.44)
9	भूमि अध्याप्ति विभाग	-	-	-	-	-	3 (331.78)	3 (331.78)
10	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	-	-	-	-	3 (5.32)	8 (10.57)	11 (15.89)
11	पुलिस विभाग	1 (0.00)	1(4.00)	-	-	1 (1.21)	3 (2.89)	6 (8.10)
12	पी.ए.सी.	-	-	-	1 (47.48)-	-	1 (0.51)	2 (47.99)
13	लोक निर्माण विभाग	-	6 (126.81)	4 (21.56)	-	-	-	10 (148.37)
14	राजस्व विभाग	1 (6.68)	-	-	1 (1.72)	-	3 (6.09)	5(14.49)
15	ग्राम्य विकास विभाग	-	-	-	-	2(1.21)	7 (2.07)	9 (3.28)
16	समाज कल्याण विभाग	1 (4.44)	-	-	1 (0.25)	-	2 (0.70)	4 (5.39)
17	प्राविधिक शिक्षा विभाग	-	-	1 (11.59)	-	-	-	1 (11.59)
18	बाट एवं माप विभाग	-	-	-	-	-	1 (1.01)	1 (1.01)
19	उद्यान विभाग	-	1 (3.59)	-	-	-	-	1 (3.59)
20	वित्त विभाग	-	-	-	-	-	1 (0.67)	1 (0.67)
	योग	8(66.85)	17(308.07)	18(44.17)	17(63.57)	32(16.06)	43(383.85)	135(882.57)

परिशिष्ट 3.3	चोरी, दुर्विनियोग, शासकीय सामग्रियों की हानि एवं गबन के कारण राज्य सरकार को हुई क्षति के प्रकरणों का विभागवार/श्रेणीवार विवरण (संदर्भ: प्रस्तर 3.4; पृष्ठ 75)
-------------------------	---

(₹ लाख में)

विभाग का नाम	चोरी के प्रकरण		दुर्विनियोग के प्रकरण		शासकीय सामग्रियों की हानि के प्रकरण		गबन के प्रकरण		योग	
	प्रकरण की संख्या	धनराशि	प्रकरण की संख्या	धनराशि	प्रकरण की संख्या		प्रकरण की संख्या	धनराशि	प्रकरण की संख्या	धनराशि
कृषि विभाग	-	-	1	5.45	2	2.17	-	-	3	7.62
पशुपालन विभाग	11	1.78	-	-	3	1.55	2	3.22	16	6.55
सहकारिता विभाग	1	1.28	-	-	-	-	1	0.17	2	1.45
शिक्षा विभाग	2	6.60	1	6.19	-	-	3	105.15	6	117.94
मत्स्य विभाग	-	-	-	-	1	1.23	2	1.38	3	2.61
खाद्य एवं रसद विभाग	-	-	-	-	4	10.15	5	18.63	9	28.78
सिंचाई विभाग	33	15.84	3	29.72	3	5.28	2	70.19	41	121.03
न्याय विभाग	-	-	-	-	-	-	1	4.44	1	4.44
भूमि अध्याप्ति विभाग	-	-	2	5.78	-	-	1	326.00	3	331.78
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	8	11.91	-	-	-	-	3	3.98	11	15.89
पुलिस विभाग	-	-	-	-	2	4.01	4	4.09	6	8.10
पी.ए.सी.	-	-	-	-	-	-	2	47.99	2	47.99
लोक निर्माण विभाग	3	1.63	-	-	7	146.74	-	-	10	148.37
राजस्व विभाग	-	-	-	-	-	-	5	14.49	5	14.49
ग्राम्य विकास विभाग	4	0.94	-	-	1	0.14	4	2.20	9	3.28
समाज कल्याण विभाग	-	-	-	-	-	-	4	5.39	4	5.39
प्राविधिक शिक्षा विभाग	-	-	1	11.59	-	-	-	-	1	11.59
बाट एवं माप विभाग	1	1.01	-	-	-	-	-	-	1	1.01
उद्यान विभाग	-	-	-	-	-	-	1	3.59	1	3.59
वित्त विभाग	-	-	-	-	-	-	1	0.67	1	0.67
योग	63	40.99	8	58.73	23	171.27	41	611.58	135	882.57

परिशिष्ट 3.4	वर्ष 2015-16 में विभागवार निस्तारित/ अपलेखित किए गए प्रकरणों का विवरण (संदर्भ: प्रस्तर 3.4; पृष्ठ 75)
-------------------------	---

(₹ लाख में)

क्र० सं०	विभाग का नाम	प्राधिकारी	संक्षिप्त विवरण	प्रकरणों की संख्या	धनराशि
1	कृषि विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	जिला कृषि सुरक्षा यूनिट, कूड़ाघाट, गोरखपुर में चौकीदार की हत्या के बाद रसायनों की चोरी	01	1.47
2	ग्राम्य विकास विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	खण्ड विकास अधिकारी, तहबरपुर, आजमगढ़ के कार्यालय में ग्राम विकास अधिकारी, श्री दबन सिंह द्वारा गबन	01	0.04
3	ग्राम्य विकास विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	रायपुरा ब्लाक, बदायूँ में स्टोरकीपर श्री रामेन्द्र पाल गुप्ता द्वारा गबन	01	0.08
4	ग्राम्य विकास विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	अलीगंज ब्लाक, एटा में कैश चेस्ट तोड़कर कैश की चोरी	01	0.44
योग				04	2.03

परिशिष्ट 3.5	वर्ष 2015-16 के दौरान खोले गये नये शीर्षों की सूची (संदर्भ: प्रस्तर 3.5; पृष्ठ 76)
-------------------------	--

क्र० सं०	अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	आयोजनागत / आयोजनेत्तर
1	1	4059-01-051-07-00-24	आयोजनेत्तर
2		4059-01-051-08-00-24	आयोजनेत्तर
3		4059-01-051-09-00-24	आयोजनेत्तर
4		4059-01-051-10-00-24	आयोजनेत्तर
5		4059-01-051-11-00-24	आयोजनेत्तर
6	3	2851-00-102-10-00-20	आयोजनागत
7		2851-00-102-11-00-42	आयोजनागत
8	5	2851-00-105-12-00-20	आयोजनागत
9		2851-00-105-13-00-27	आयोजनागत
10		2851-00-105-22-00-27	आयोजनागत
11		6851-00-105-03-00-30	आयोजनागत
12	6	2851-00-102-03-00-35	आयोजनागत
13		2851-00-102-04-00-20	आयोजनागत
14		2851-00-108-03-00-20	आयोजनागत
15		4801-05-190-03-00-30	आयोजनागत
16		2851-00-108-04-00-27	आयोजनेत्तर
17		6860-01-190-03-00-30	आयोजनेत्तर
18		6860-01-190-04-00-30	आयोजनेत्तर
19	7	2852-07-202-04-00-20	आयोजनागत
20		4859-02-800-06-00-26	आयोजनागत
21	9	4801-02-190-14-06-30	आयोजनागत
22		4801-02-190-14-10-30	आयोजनागत
23		4801-02-190-14-11-30	आयोजनागत
24		4801-02-190-14-12-30	आयोजनागत
25		4801-05-190-04-00-30	आयोजनागत
26		4801-05-190-06-00-30	आयोजनागत
27		4801-06-190-06-00-30	आयोजनागत
28	10	4401-00-119-03-03-24	आयोजनेत्तर
29		4401-00-119-03-04-24	आयोजनेत्तर
30		4401-00-119-03-05-24	आयोजनेत्तर
31		4401-00-119-03-06-24	आयोजनेत्तर
32		4401-00-119-03-07-24	आयोजनेत्तर
33		4401-00-119-03-08-24	आयोजनेत्तर
34		4401-00-119-03-09-24	आयोजनेत्तर
35		4401-00-119-03-10-24	आयोजनेत्तर
36		4401-00-119-03-11-24	आयोजनेत्तर
37	11	2401-00-109-09-00-27,42	आयोजनागत
38		2401-00-114-01-01-27	आयोजनागत
39		2401-00-800-02-14-20,35	आयोजनागत

40		2401-00-800-02-15-20,35	आयोजनागत
41		2401-00-800-02-16-20,35	आयोजनागत
42		2415-80-120-28-00-20,31	आयोजनागत
43		2415-80-120-29-00-20,31	आयोजनागत
44		4401-00-800-02-05-24,26	आयोजनागत
45		4415-80-277-27-04-24	आयोजनागत
46		4415-80-277-29-09-24	आयोजनागत
47		4415-80-277-29-10-24	आयोजनागत
48		4415-80-277-29-11-24	आयोजनागत
49		4415-80-277-31-06-24	आयोजनागत
50		4415-80-277-32-00-24	आयोजनागत
51		2415-80-120-30-00-20	आयोजनेत्तर
52	13	2515-00-102-15-00-46	आयोजनागत
53		2515-00-800-06-00-42	आयोजनागत
54		2515-00-800-07-00-20	आयोजनागत
55		4702-00-102-09-00-24	आयोजनागत
56		4702-00-102-10-00-24	आयोजनागत
57		4702-00-102-11-00-24	आयोजनागत
58		4702-00-102-12-00-24	आयोजनागत
59	14	2070-00-800-04-00-42	आयोजनागत
60		2515-00-101-15-00-46	आयोजनागत
61		2515-00-101-16-00-20	आयोजनागत
62		2515-00-800-12-00-42	आयोजनागत
63		4070-00-800-03-00-24	आयोजनागत
64		4515-00-101-08-00-24	आयोजनागत
65	15	2403-00-101-02-08-02,15,39,43	आयोजनागत
66		2403-00-101-02-09-04,07,11,15,18,19,29, 39,42,43,46,47	आयोजनागत
67		2403-00-107-05-00-42,43	आयोजनागत
68	16	6404-00-190-05-00-30	आयोजनेत्तर
69	17	2405-00-101-04-08,02,09,39,42,43	आयोजनागत
70		2425-00-800-12-00-42	आयोजनागत
71	18	6425-00-800-05-00-30	आयोजनेत्तर
72	21	2408-01-001-04-01-20,31	आयोजनेत्तर
73		2408-01-001-04-02-01 to 51	आयोजनेत्तर
74		2408-01-001-04-03-02 to 47	आयोजनेत्तर
75		2408-01-001-04-04-07 to 19	आयोजनेत्तर
76		2408-01-001-04-05-27	आयोजनेत्तर
77		2408-01-001-04-06-07	आयोजनेत्तर
78	22	4202-03-800-61-01-24	आयोजनागत
79		4202-03-800-61-02-24	आयोजनागत
80		4202-03-800-63-00-26	आयोजनागत
81		4202-03-800-75-01-24	आयोजनागत
82		4202-03-800-75-02-24	आयोजनागत

83		4202-03-800-75-03-24	आयोजनागत
84		4202-03-800-88-00-24	आयोजनागत
85		4202-03-800-89-00-24	आयोजनागत
86		4202-03-800-90-00-24	आयोजनागत
87		4202-03-800-91-00-24	आयोजनागत
88		4202-03-800-92-00-24	आयोजनागत
89		4202-03-800-93-00-24	आयोजनागत
90	23	5054-04-337-04-00-24	आयोजनागत
91	24	2852-08-201-08-00-20	आयोजनागत
92		6860-04-101-08-00-30	आयोजनागत
93	26	2055-00-001-04-00-16	आयोजनेत्तर
94		4055-00-207-97-01-14,26	आयोजनेत्तर
95		4055-00-207-14-00-14,26,46	आयोजनेत्तर
96		4055-00-190-03-00-30	आयोजनेत्तर
97		4055-00-207-15-00-26,46	आयोजनेत्तर
98		4055-00-207-16-00-26,46	आयोजनेत्तर
99		4055-00-211-04-00-24	आयोजनेत्तर
100		4055-00-211-12-00-24	आयोजनेत्तर
101	31	4210-03-105-67-00-24	आयोजनागत
102	32	2210-80-800-08-00-42	आयोजनागत
103		4210-01-110-79-00-24	आयोजनागत
104		2210-01-110-05-00-14	आयोजनेत्तर
105	33	2210-80-800-01-01-20	आयोजनागत
106	37	2217-80-800-11-00-20	आयोजनागत
107	40	3451-00-101-03-00-08, 26	आयोजनागत
108	42	2235-60-200-13-00-20	आयोजनेत्तर
109	44	5452-01-800-05-00-24	आयोजनागत
110		5452-01-800-06-00-24	आयोजनागत
111	47	4202-02-105-01-04-24	आयोजनागत
112		4202-02-105-15-00-24	आयोजनागत
113	48	2202-01-800-11-00-31	आयोजनागत
114	49	2235-02-102-01-26-07,12,42	आयोजनागत
115		2235-02-102-16-00-20	आयोजनागत
116		2235-02-102-17-00-42	आयोजनागत
117		4235-02-103-03-00-42	आयोजनागत
118	50	4059-01-051-52-00-24	आयोजनागत
119	51	4070-00-800-01-01-42	आयोजनागत
120	52	2029-00-103-06-00-46	आयोजनागत
121		4059-01-800-16-00-26	आयोजनागत
122		4059-01-800-17-00-24	आयोजनागत
123	55	4059-80-051-25-00-24	आयोजनागत
124		4059-80-051-27-00-24	आयोजनागत
125	58	5054-04-337-08-00-24	आयोजनागत
126		5054-04-337-09-00-24	आयोजनागत

127		5054-04-337-10-00-24	आयोजनागत
128		5054-04-337-13-42-24	आयोजनागत
129		5054-04-337-13-43-24	आयोजनागत
130		5054-04-337-91-00-24	आयोजनागत
131		5054-04-337-92-00-24	आयोजनागत
132	60	4059-01-051-04-00-24 to 26,42	आयोजनेत्तर
133	68	4059-80-800-03-00-42	आयोजनेत्तर
134		4059-80-800-04-00-42	आयोजनेत्तर
135	74	4070-00-800-08-00-24	आयोजनेत्तर
136	78	4059-01-051-03-00-24	आयोजनेत्तर
137		4216-01-700-03-00-24	आयोजनेत्तर
138	87	2075-00-800-05-00-35	आयोजनेत्तर
139		2235-60-200-06-00-20	आयोजनेत्तर
140	89	4059-01-051-13-16-24	आयोजनेत्तर
141		4059-01-051-13-17-24	आयोजनेत्तर
142		4059-01-051-13-18-24	आयोजनेत्तर
143		4059-01-051-13-19-24	आयोजनेत्तर
144	94	2700-17-101-03-01-29	आयोजनेत्तर
145		2700-17-101-03-02-29	आयोजनेत्तर
146		2700-17-101-03-03-29	आयोजनेत्तर

परिशिष्ट 3.6	लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत पुस्तांकित मुख्य शीर्षवार प्राप्तियों का विवरण (संदर्भ: प्रस्तर 3.6; पृष्ठ 76)
-------------------------	--

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विवरण	कुल प्राप्ति	लघु शीर्ष '800- अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत प्राप्तियाँ	प्रतिशतता
0217	नगर विकास	25.98	26.08	100.38
0801	ऊर्जा	1,322.17	1,322.17	100.00
0023	होटल प्राप्ति कर	50.27	50.27	100.00
0506	भूमि सुधार	17.44	17.44	100.00
0852	उद्योग	9.13	9.13	100.00
1456	नागरिक आपूर्ति	3.35	3.35	100.00
0810	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	3.34	3.34	100.00
1053	नागरिक उद्भयन	0.18	0.18	100.00
0220	सूचना तथा प्रचार	0.15	0.15	100.00
0415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	0.12	0.12	100.00
0875	अन्य उद्योग	0.10	0.10	100.00
0215	जलापूर्ति एवं सफाई व्यवस्था	0.10	0.10	100.00
0575	अन्य विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	0.06	0.06	100.00
0047	अन्य राजकोषीय सेवाएँ	0.04	0.04	100.00
0235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	108.32	107.92	99.63
0406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	629.79	622.59	98.86
0851	ग्राम तथा लघु उद्योग	51.90	50.95	98.17
0075	विविध सामान्य सेवाएँ	4,949.22	4,822.56	97.44
0425	सहकारिता	167.50	162.29	96.89
0230	श्रम तथा रोजगार	166.56	155.75	93.51
0071	पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभ के संबंध में अंशदान	67.97	61.02	89.77
0029	भू-राजस्व	505.31	454.23	89.89
1055	सड़क परिवहन	6.57	5.82	88.58
0211	परिवार कल्याण	0.50	0.44	88.00
0056	कारागार	3.41	2.99	87.68
1452	पर्यटन	2.58	2.22	86.05
1054	सड़क तथा सेतु	652.48	518.95	79.54
1601	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	31,861.34	23,914.17	75.06
0403	पशुपालन	36.19	26.40	72.95
0401	फसल कृषि कर्म	98.74	65.21	66.04
0059	लोक निर्माण	92.25	55.95	60.65
0700	मुख्य सिंचाई	7.61	4.37	57.42
0853	अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	1,222.17	653.56	53.48
0515	अन्य ग्राम्य विकास	129.75	66.00	50.87

परिशिष्ट 3.7	लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत पुस्तांकित मुख्य शीर्षवार व्यय का विवरण (संदर्भ: प्रस्तर 3.6; पृष्ठ 76)
-------------------------	--

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विवरण	कुल व्यय	लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत व्यय	प्रतिशतता
2801	ऊर्जा	21,913.90	21,913.90	100.00
2040	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	541.04	541.04	100.00
5053	नागरिक उड्डयन पर पूंजीगत परिव्यय	257.32	257.32	100.00
2705	कमांड क्षेत्र विकास	225.52	225.52	100.00
4859	दूरसंचार एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	16.37	16.37	100.00
2407	बागान	14.84	14.84	100.00
2885	उद्योगों एवं खनिजों पर अन्य परिव्यय	8.14	8.14	100.00
4853	अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	6.87	6.87	100.00
5425	अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	2.00	2.00	100.00
2041	वाहनों पर कर	0.72	0.72	100.00
4047	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.10	0.10	100.00
3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	598.37	545.87	91.23
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	950.83	800.83	84.22
4575	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	554.42	404.81	73.02
4235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	662.18	447.69	67.61
2405	मत्स्य पालन	60.36	39.73	65.82
2575	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	11.68	7.29	62.41
3452	पर्यटन	40.76	24.65	60.48
4401	फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	40.21	21.21	52.75
4202	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	1,130.44	590.96	52.28
4217	नगर विकास पर पूंजीगत परिव्यय	1,334.21	672.47	50.40

परिशिष्ट
3.8

उपकर जो सावधि जमा के रूप में बैंक खातों में रखे गये
(संदर्भ: प्रस्तर 3.7.4; पृष्ठ 78)

क्र० सं०	बैंक का नाम	सावधि जमा संख्या	निवेश की तिथि	निवेश की गयी धनराशि (₹)	परिपक्वता की तिथि	परिपक्वता की धनराशि (₹)
1.	इलाहाबाद बैंक	50154528501	11-05-15	97,74,58,621.06	11-05-16	97,84,31,531.06
2.		50157923030	11-06-15	9,47,22,618.00	11-06-16	9,48,84,627.00
3.		50161752477	11-07-15	35,54,05,401.00	11-07-16	38,50,79,534.00
4.		50174589492	11-10-15	31,55,61,007.00	11-10-16	34,07,36,962.00
5.		50178199260	11-11-15	5,42,50,688.49	11-11-16	5,85,78,894.00
6.		50187501647	13-01-16	26,25,748.00	13-01-17	28,28,868.00
7.		50200071302	11-04-15	53,29,34,555.00	11-04-16	53,31,96,704.00
8.		50276374912	11-04-15	2,62,149.00	11-04-16	2,85,851.00
9.		50203439648	11-05-15	61,24,32,166.00	11-05-16	66,61,71,840.00
10.		50212285733	11-07-16	29,52,76,842.00	11-07-16	31,99,30,615.00
11.		50216796628	11-08-15	21,73,22,283.00	11-08-16	23,52,36,627.00
12.		50239206907	11-10-15	45,93,19,531.00	11-10-16	57,86,25,563.00
13.		50244385875	03-11-15	53,58,72,787.00	03-12-16	49,77,81,756.00
14.		50250257617	05-12-15	46,31,41,323.00	07-01-18	2,25,559.00
15.		50257587015	07-01-15	1,73,975.00	07-04-16	62,15,35,520.00
16.		50274810523	07-04-15	57,00,00,000.00	07-04-16	62,15,35,520.00
17.		50278220187	04-05-15	84,00,00,000.00	04-05-16	91,37,08,288.00
18.		50279169592	11-05-15	9,72,910.00	11-05-16	10,58,281.00
19.		50282676314	04-06-15	72,00,00,000.00	04-06-16	78,31,78,532.00
20.		50282910390	06-06-15	6,09,583.00	06-06-16	6,63,073.00
21.		50287243818	02-07-15	1,69,00,00,000.00	02-07-16	1,83,11,04,451.00
22.		50287434187	04-07-15	1,62,009.00	04-07-16	1,88,927.00
23.		50292020826	04-08-15	57,00,00,000.00	04-08-16	61,75,91,442.00
24.		50297303990	04-09-15	9,92,26,383.00	04-09-16	10,74,05,828.00
25.		50301904446	04-10-15	1,54,00,00,000.00	04-10-16	1,66,69,45,526.00
26.		50305833093	04-11-15	53,00,00,000.00	04-11-16	57,22,84,236.00
27.		50309868001	04-12-15	55,00,00,000.00	04-12-16	59,38,79,868.00
28.		50315201518	04-01-16	29,00,00,000.00	04-01-17	31,23,69,401.00
29.		50320547297	04-02-16	68,23,38,799.00	04-02-17	73,49,71,594.00
30.		50325422285	04-03-16	10,00,00,000.00	04-03-17	10,77,13,587.00
31.		50215236714	01-08-15	1,12,313.00	01-08-16	1,21,690.00

32.		50277182720	24-04-15	10,52,891.00	24-04-16	11,48,086.00
33.		50289838665	19-07-15	1,05,75,256.00	19-07-16	1,14,57,009.00
34.		50289839817	21-07-15	1,05,75,292.00	21-07-16	1,14,54,545.00
35.		50290093727	23-07-15	1,12,21,289.00	23-07-16	1,20,48,833.00
36.		50290661158	25-07-15	1,12,22,405.00	25-07-16	1,51,52,804.00
37.		50291750809	01-08-15	1,12,25,944.00	01-08-16	1,21,51,323.00
38.		50291753243	01-08-15	1,12,25,944.00	01-08-16	1,21,51,323.00
योग				13,16,72,80,712.55		
39.	केनरा बैंक	2534441000006/1	25-02-16	50,18,24,925.00	25-02-17	54,06,39,751.00
40.		2534441000003/1	29-02-16	2,63,31,11,419.00	03-01-17	2,85,04,47,545.00
41.		2534441000007/1	14-03-16	1,28,53,53,814.00	14-03-17	1,39,22,63,371.00
योग				4,42,02,90,158.00		
42.	पंजाब नेशनल बैंक	पी.यू. 00026334-26927	07-10-15	54,00,00,000.00	07-10-16	58,30,82,040.00
43.		पी.यू. 00026954	07-10-15	65,41,660.00	07-10-16	70,63,564.00
44.		पी.यू. 00023319-23887	25-07-15	55,10,00,000.00	25-07-16	59,70,05,078.00
45.		पी.यू. 00023896	25-07-15	54,47,056.00	25-07-16	59,01,851.00
महायोग				1,10,29,88,716.00		
बचत खाते में धनराशि				18,69,05,59,586.55		
अन्तिम अवशेष				4,64,11,36,034.00		
महायोग				23,33,16,95,620.55*		

*क्षेत्रीय/जिला स्तरीय कार्यालयों द्वारा चेक न भुनाये जाने के कारण सारणी 3.6 में दर्शायी गयी धनराशि से ₹ 73.69 करोड़ (2,333.17 करोड़ - 2,259.48 करोड़) का अन्तर है।